

HOW TO APPLY**Important Tips**

- 1 Designated counters of POST OFFICE will supply the INFORMATION BROCHURE costing:
 - Rs. 600.00 + Rs. 15.00 (Postal Charges) and Rs. 50.00 (On-line counseling charges) for General & OBC candidates.
 - Rs. 300.00 + Rs. 15.00 (Postal Charges) and Rs. 50.00 (on-line counselling charges) for SC / ST Candidates.
- 2 The brochure includes an application form which is in the form of an OMR sheet.
- 3 The Brochure should be thoroughly studied.
- 4 The Application Form is to be filled up on the basis of information contained in the Brochure.
- 5 The OMR sheet is to be filled up with utmost care. There should not be any overwriting or cutting. OMR sheet should not be stapled but will be single folded from the middle as indicated.
- 6 The duly filled up OMR Application Form is to be submitted by Registered/ Speed post to **CHAIRMAN, C.P.M.T.2008 University of Lucknow - 226007 .**
- 7 Write your OMR Serial Number on the envelope along with your address.
- 8 Please insert the OMR application form in the envelope by single folding in the middle as indicated.
- 9 The application form after scrutiny shall be processed and you will receive your Admit Card along with your Roll Number, which will allow you to appear in the Entrance Test.
- 10 Appropriate information regarding center shall be mentioned on the admit card.
- 11 For further details you may contact us on the following.

Website - www.lkouniv.ac.in Telephone : 0522-2740462, 2740411, 2740467 Fax : 0522-2740462

कैसे आवेदन करें

- 1 सी०पी०एम०टी०-2008 की सूचना पुस्तिका डाकघर की निर्धारित शाखा से प्राप्त की जा सकती है। सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुस्तिका का मूल्य रू० 600+15 डाक व्यय एवं ऑनलाइन काउन्सिलिंग व्यय रू० 50/- (कुल रू० 665/- मात्र) होगा। अनुसूचितजाति / जनजाति के लिए पुस्तिका का मूल्य रू० 300 + 15 तथा ऑनलाइन काउन्सिलिंग व्यय रू० 50/- (कुल रू० 365/- मात्र) होगा।
- 2 पुस्तिका में ओ०एम०आर० शीट के रूप में आवेदन-पत्र भी संलग्न है।
- 3 पुस्तिका में दिये गये निर्देशों/सूचनाओं को ध्यान पूर्वक पढ़ें।
- 4 आवेदन पत्र को पुस्तिका में दिये गये निर्देशों/सूचनाओं के आधार पर भरें।
- 5 ओ०एम०आर० शीट अत्यन्त सावधानी पूर्वक भरें। इसे भरने के लिए काली या नीली स्याही के बॉल-प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। इसमें कोई ओवरराइटिंग अथवा कटिंग न करें। ओ०एम०आर० शीट को स्टैपल न करें बल्कि निर्देशानुसार बीच से एक बार मोड़ें।
- 6 पूर्णतया भरी ओ०एम०आर० शीट रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट से चेयरमैन सी०पी०एम०टी०-2008, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226007 को प्रेषित करें।
- 7 लिफाफे पर अपने पते के साथ ओ०एम०आर० शीट का क्रमांक भी अंकित करें।
- 8 कृपया ओ०एम०आर० आवेदन पत्र को बीच से एक बार निर्देशानुसार मोड़ते हुए लिफाफे में डालें।
- 9 आवेदन पत्र की जांच के बाद आपको रोल-नम्बर सहित प्रवेश पत्र भेज दिया जायगा जिसके आधार पर आपको प्रवेश-परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी।
- 10 परीक्षा केन्द्र के विषय में समुचित सूचना प्रवेश पत्र पर अंकित होगी।
- 11 अधिक जानकारी हेतु निम्नांकित पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :-

Website : www.lkouniv.ac.in Telephone : 0522-2740462, 2740411, 2740467 Fax : 0522-2740462

सी.पी.एम.टी. 2008 से संबंधित मुख्य तिथियाँ		
आवेदन-पत्र के विक्रय की प्रारंभ तिथि	शुक्रवार	08-02-2008
आवेदन-पत्र के विक्रय की अंतिम तिथि	शनिवार	01-03-2008 (दोपहर 1:00 बजे तक)
पूर्णतया भरा आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि-	शुक्रवार	07-03-2008 (दोपहर 2:00 बजे तक)
परीक्षा तिथि	बुधवार	14-05-2008
विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थिति होने की तिथि	शुक्रवार	20-06-2008

**अति महत्वपूर्ण निर्देश
(Most Important Instruction)**

इस विवरण पुस्तिका तथा आवेदन का मूल्य सामान्य तथा अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये + 50 रुपये तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये + 50 रुपये है जिसमें 50 रुपये आन-लाइन काउन्सिलिंग चार्ज है। पोस्ट आफिस चार्ज 15 रुपये अलग से देय है।

- 1 इस विवरण पुस्तिका का अध्ययन भली-भांति कर लें।
- 2 आवेदन-पत्र प्रारूप O.M.R. में है, इसको पूर्णतः त्रुटिहीन भरना आवश्यक है। आवेदन-पत्र जमा होने के पश्चात इसमें संशोधन संभव नहीं है।
पहले आवेदन पत्र की फोटो प्रतिलिपि बनाकर उस पर अभ्यास कर लें। निशान लगाने के बाद उसे बदलना असंभव है। मिटाकर बदलने का प्रयास भी न करें।
- 3 आवेदन-पत्र में कोई सूचना गलत पाये जाने पर अथवा फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश पाये जाने पर अभ्यर्थी का आवेदन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
- 4 आवेदन-पत्र के साथ कोई भी अभिलेख संलग्न नहीं करने हैं।
- 5 श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन संबंधित कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 6 भविष्य में पत्र-व्यवहार में श्रेणी/ उपश्रेणी का उल्लेख अवश्य करें। **पूर्णतया भरे हुए आवेदन-पत्र की एक फोटो प्रतिलिपि अपने पास भविष्य में प्रयोग के लिए अवश्य रख लें।**
- 7 आवेदन-पत्र की जांच की प्रक्रिया क्योंकि ऑप्टिकल मार्क रीडर (O.M.R.) द्वारा होगी अतः O.M.R.sheet. को निर्दिष्ट स्थान पर ही मोड़ें और इसमें कोई पिन स्टेपल आदि न लगायें। इसे भरने के लिए काली या नीली स्याही के बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। सम्बद्ध निर्देश खंड 11 में दिये हैं। आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी इन निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें।
- 8 उत्तर पुस्तिका (O.M.R. Answer sheet) में दिये गये निर्देशानुसार जहाँ आवश्यक है केवल काले या नीले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। फेल्ट पेन (Felt Pen) उपयुक्त नहीं होगा।
- 9 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के लिए 15 मिनट पहले परीक्षा कक्ष में आयें ताकि O.M.R. Answer sheet पर वांछित विवरण ठीक से भर सकें। इसके लिए अलग से समय नहीं दिया जायेगा।
- 10 आवेदन-पत्र में क्रम संख्या 22 में केवल रंगीन फोटोग्राफ, चिपकाने के लिए फोटोग्राफ खिचवाते समय एक छोटे कार्ड पर अपना नाम तथा फोटो खिचवाने वाले दिन की तारीख लिखकर अपने सीने के पास अवश्य रखें ताकि वह सीने के पास फोटो में अवश्य छपे। फोटो का साइज 50 m.m तथा चेहरे का साइज 28 m.m कैमरे को देखते हुए होना चाहिए। फोटोग्राफ रंगीन होनी चाहिए।
- 11 बायें हाथ के अंगूठे का निशान अभ्यर्थी को फार्म के निर्धारित स्थान पर Sample में दर्शाये गये तरीके से लगाना होगा। निशानी अंगूठा धूमिल (Smudge) होने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।
- 12 अभ्यर्थी के आवेदन-पत्र के आधार पर प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जायेगी, परंतु काउन्सिलिंग के समय मूल प्रमाण-पत्र देखकर यह निर्धारित किया जायेगा कि उसके द्वारा आवेदित आरक्षित श्रेणी का लाभ उसे दिया जाये अथवा नहीं। इस विषय पर काउन्सिलिंग बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। इस आधार पर कि उसे प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गयी है, कोई भी अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ पाने का पात्र नहीं होगा।
- 13 यदि अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के समय उपयुक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे काउन्सिलिंग में कथित लाभ अनुमन्य नहीं होगा परंतु वह अगली काउन्सिलिंग में वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकता है / भाग ले सकता है।
- 14 यदि अभ्यर्थी प्रथम काउन्सिलिंग में अनुपस्थित रहता है तब भी उसे आगे होने वाली काउन्सिलिंग में भाग लेने की अनुमति बनी रहेगी। सभी अर्ह अभ्यर्थी काउन्सिलिंग सम्बन्धी सूचनाओं का अध्ययन कर वांछित प्रमाण-पत्र, अभिलेख एवं बैक-ड्राफ्ट के साथ काउन्सिलिंग में भाग लें। **काउन्सिलिंग में अभ्यर्थी को स्वयं भाग लेना होगा।**
- 15 सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में, आवेदन-पत्र पर चिपकाये गये फोटोग्राफ के निगेटिव से बनवाये दो फोटोग्राफ लाना अनिवार्य है।
- 16 अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र, अंतिम तिथि से बहुत पहले जमा कर दें। आवेदन पत्र केवल स्पीडपोस्ट अथवा (इसकी सुविधा न होने पर) पंजीकृत डाक से भेजने के लिए उसी डाकघर को वरीयता दी जाय जहाँ से फार्म क्रय किया गया हो। पूरा आवेदन पत्र निम्न पते पर भेजा जाय
**चेयरमैन (सी.पी.एम.टी)
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ 226 007 (उत्तर प्रदेश)**
- 17 एक लिफाफे में केवल एक ओ.एम.आर. आवेदन-पत्र निर्दिष्ट स्थान पर ही मोड़कर रखें।
- 18 लिफाफे पर सभी प्रविष्टियां भरें।
- 19 प्रत्येक अभ्यर्थी केवल एक ही आवेदन-पत्र जमा करें
- 20 नियंत्रण कक्ष का दूरभाष **0522-2740412** है, जिस पर अभ्यर्थी संपर्क कर सकते हैं।
- 21 सी.पी.एम.टी. की वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पर सभी संबंधित एवं आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- 22 अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र सुरक्षित रखें। प्रवेश-पत्र न होने की दशा में काउन्सिलिंग में भाग लेने के अधिकारी नहीं होंगे।

विषय सूची	
------------------	--

		पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य सूचनाएं	4
2.	परीक्षा कार्यक्रम	4
3.	अर्हताएं	4-5
4.	आरक्षण	6-7
5.	प्रवेश-पत्र	7
6.	अनुचित साधन	7
7.	चयन एवं काउंसिलिंग	7-9
8.	कॉलेजों की सूची/पाठ्यक्रम एवं सीट संख्या	9-10
9.	प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम	11-22
10.	प्रमाण पत्रों के प्रारूप	23-27
11.	शीट सम्बन्धी निर्देश	28-30
12.	आवेदन पत्र का प्रारूप	31-32

सूचना

- 1 यह विवरण पुस्तिका शासनादेश संख्या 87/71-3-07-116/2007 दिनांक 11 जनवरी, 2008 के अनुसार बनाई गई है। विवरण पुस्तिका तथा शासनादेश में विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।
- 2 शासन को, आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय आदेशों का संशोधन करने का अधिकार है तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम की सीटों में किसी भी समय कोई भी संशोधन करने का भी अधिकार रहेगा।
- 3 सी०पी०एम०टी०-2008 परीक्षा से सम्बन्धित समस्त विधिक विवाद जनपद न्यायालय लखनऊ तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ खण्डपीठ के क्षेत्राधिकार में होगा।
- 4 प्रत्येक अभ्यर्थी को यह स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि सी०पी०एम०टी०-2008 के आयोजन में परीक्षा एवं परीक्षाफल घोषित किये जाने तक का कार्य लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित कराया जायेगा। इस विषय में किसी भी सूचना हेतु निम्नलिखित पते पर सम्पर्क स्थापित करें

चेयरमैन

सी०पी०एम०टी० - 2008

लखनऊ विश्वविद्यालय,

लखनऊ - 226007 (उ०प्र०)

- 5 मेरिट सूची में आये छात्रों को विभिन्न अर्ह की श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर आवंटन शासन द्वारा गठित काउंसिलिंग बोर्ड के द्वारा काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा।
- 6 लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा सी०पी०एम०टी०-2008 के लिए कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चलाया जाता है, और न ही ऐसे किसी संस्थान से उसका कोई सम्बन्ध है।

चेतावनी

आवेदन पत्र जनरल पोस्ट आफिस से प्राप्त करें। आवेदन पत्र जाली पाये जाने पर तुरन्त निरस्त कर दिया जायेगा।

1. कम्बाइंड प्री मेडिकल टेस्ट-2008 (सी०पी०एम०टी०-2008) के संदर्भ में सामान्य सूचना

- (क) सी०पी०एम०टी०-2008 का आयोजन निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2008-2009 के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु किया जायेगा।
1. एम.बी.बी.एस., 2. बी.डी.एस 3. बी.एच.एम.एस., 4. बी.ए.एम.एस. 5. बी.यू.एम.एस.
- (ख) सी०पी०एम०टी०-2008 में चार विषयों में दो प्रश्नपत्र होंगे तथा परीक्षा एक ही दिन (बुधवार 14 मई, 2008) को निम्न कार्यक्रमानुसार होगी :

प्रथम प्रश्नपत्र	जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान	प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक
द्वितीय प्रश्नपत्र	रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान	अपराह 2 बजे से सांय 4 बजे तक

- प्रत्येक विषय के 50 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा अर्थात् प्रत्येक प्रश्नपत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा। दोनों प्रश्नपत्र इंटरमीडिएट स्तर के होंगे (पाठ्यक्रम, विवरणिका में संलग्न है)।
- (ग) चयनित अभ्यर्थियों को हिन्दी विषय का एक प्रश्नपत्र जो हाईस्कूल स्तर के सामान्य ज्ञान पर आधारित होगा, उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण किये बिना चयनित अभ्यर्थी डिग्री के लिए अर्ह नहीं होंगे। यह परीक्षा बाद में होगी। यह परीक्षा शासनादेश संख्या 4171/71-3-07-52/2007 दिनांक 14/11/2007 की व्यवस्था के अनुसार होगी।
- (घ) सभी विषयों के प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ (Objective Type) होंगे तथा किसी भी विषय में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
- (ङ) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक अर्हताएं खंड ३ में दी गयी है।
- (च) सी.पी.एम.टी.-2008 के परीक्षक मंडल द्वारा प्रश्नपत्रों के निर्धारित उत्तर परीक्षाफल अंतिम रूपसे मान्य होंगे। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन केवल Computer द्वारा ही होगा। किसी भी स्थिति में उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन (Re-valuation) नहीं किया जायेगा। परन्तु पुनरीक्षण (Scrutiny) का प्रावधान है।
- (छ) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (लखनऊ बेंच) द्वारा सी.पी.एम.टी. के संबंध में पारित आदेशों का अनुपालन माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 418/एम./बी.ऑफ 1998 के विरुद्ध अनुज्ञा याचिका में पारित आदेश के अधीन होगा।

2. परीक्षा कार्यक्रम सी.पी.एम.टी.-2008 का कार्यक्रम बुधवार 14 मई, 2008

समय		प्रश्न-पत्र
प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक	Paper I	जन्तु विज्ञान (Zoology) एवं वनस्पति विज्ञान (Botany)
अपराह 2 बजे से सांय 4 बजे तक	Paper II	रसायन विज्ञान (Chemistry) एवं भौतिक विज्ञान (Physics)

टिप्पणी :

1. परीक्षा कार्यक्रम अपरिवर्तनीय है, चाहे उपर्युक्त तिथि को सार्वजनिक अवकाश ही क्यों न घोषित हो जाये।
2. परीक्षा स्थल पर कैलकुलेटर, लॉगटेबल, डिजिटल डायरी या किसी भी प्रकार का संचार उपकरण (सेल्युलर फोन आदि) लाना वर्जित है।
3. उपर्युक्त विषयों के पाठ्यक्रम (Syllabus) खंड 9 में दिये गये हैं।
4. सभी अभ्यर्थी परीक्षा के लिए समय से 15 मिनट पूर्व अपना स्थान ग्रहण करें तथा उत्तरपुस्तिका में आवश्यक सूचनाएँ प्रश्न-पत्र शुरू होने से पूर्व भर ले। इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
5. प्रश्न-पत्र पर लगी हुई सील केन्द्र अधीक्षक के आदेशानुसार ध्वनि संकेत पर कक्ष निरीक्षक द्वारा घोषणा किये जाने पर ही तोड़े।

3 - अर्हताएं

- (क) अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी की परिभाषा खंड 10 में प्रमाण पत्र 1 की टिप्पणी में दी गयी है।
- (ख) **आयु सीमा**
प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थी का जन्म 31 दिसम्बर, 1991 के पूर्व हुआ हो।
- (ग) **शैक्षिक अर्हता**
i. अभ्यर्थी को किसी भारतीय विश्वविद्यालय / बोर्ड या अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित इंटरमीडिएट (विज्ञान) या समकक्ष परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान (जिसमें प्रयोगात्मक परीक्षा भी शामिल होगी) तथा अंग्रेजी विषय सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है। एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया/डेंटल काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित अर्हताएं मान्य होगी, जो कि निम्नवत है :-
- (a) The higher secondary examination or the Indian School certificate examination which is equivalent to 10+2 higher secondary examination after a period of 12 years study, the last two years of study comprising of Physics, Chemistry, Biology and Mathematics or any other elective subject with English at a level not less than the core course for English as prescribed by the National Council for Educational Research & Training after the introduction of the 10+2+3 years educational structure as recommended by the National Committee on Education;

Note: Where the course contents is not as prescribed for 10+2 education structure of the National Committee, the candidates will have to undergo a period of one year pre-professional training before admission to the Medical College:

- or
- (b) The intermediate examination in science of an Indian University Board or other recognized examination body with Physics, Chemistry and Biology which shall include a practical test in these subjects and also English as a compulsory subject.
- or
- (c) The pre-professional/pre-medical examination with Physics, Chemistry and Biology, after passing either the higher secondary school examination or the pre-university or an equivalent examination shall include a practical test in Physics, Chemistry and Biology and also English as a compulsory subject:
- or
- (d) The first year of the three years degree course of a recognized university, with Physics, Chemistry and Biology including a practical test in these subjects provided the examination is a "University Examination" and candidate has passed 10+2 with English at a level not less than a core course.
- or
- (e) B.Sc examination of an Indian University, provided that he/. she has passed the B.Sc examination with not less than two of the following subjects- in Physics, Chemistry, Biology (Botany, Zoology) and further that he/she has passed the earlier qualifying examination with the following subjects- Physics, Chemistry, Biology and English.
- or
- (f) Any other examination which, in scope and standard is found to be equivalent to the intermediate science examination of an Indian University /Board taking Physics, Chemistry and Biology including a practical test in each of these subjects and English.
- ii. सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से विज्ञान विषय सहित माध्यम परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी केवल बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।
- iii. बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को उपर्युक्त अर्हता (i) के अतिरिक्त कक्षा 10 के समकक्ष उर्दू विषय की परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
- iv. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये उन सभी अभ्यर्थियों को अनुमति प्रदान कर दी जायेगी जो अर्हकारी परीक्षा में 2008 में सम्मिलित हो रहे हों। अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय न प्रस्तुत करने की दशा में आबंटन नहीं किया जायेगा।
- v. एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों के लिये अभ्यर्थियों को अर्हता परीक्षा में भौतिक, विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान विषयों में औसत 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है, साथ- सी.पी.एम.टी. में 50 प्रतिशत अंक भी प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के विद्यार्थियों के लिये दोनों मानक 50 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत होंगे।
- vi. बी.एच.एम.एस., बी.ए.एम.एस. तथा बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रमों हेतु सी.पी.एम.टी. 2008 में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
- vii. अभ्यर्थी कम्प्यूटरीकृत आवेदन पत्र (Computerized OMR Application Form) में दी गयी घोषणा (Declaration) 3 पर विशेष ध्यान दें। ये अभ्यर्थी जिन्होंने सी.पी.एम.टी. 2008 के पूर्ववर्ती वर्षों में सीपीएमटी के माध्यम से किसी पाठ्यक्रम में लिया था और प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के 90 दिन के अन्दर अपनी सीट नहीं त्यागी थी, सीपीएमटी 2008 में सम्मिलित होने के लिए अर्ह नहीं है।
वे अभ्यर्थी जिन्होंने 90 दिन के अन्दर अपनी सीट त्याग दी थी उनके लिए निम्न प्रकार की घोषणा पत्र अपने पूर्ण हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र के साथ भेजना अनिवार्य है इसे OMR सीट के साथ नथी न करें।

मैं----- पुत्र/पुत्री ----- घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा चयन सी.पी.एम.टी. वर्ष ----- के माध्यम से (पाठ्यक्रम) ----- के लिए ----- में हुआ था परन्तु सी.पी.एम.टी.-2008 में सम्मिलित होने के लिए (कालेज का नाम) ----- मैंने (दिनांक)----- को त्याग-पत्र अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को दे दिया था इसकी सूचना (दिनांक)----- को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ उत्तर प्रदेश को दे दी थी तथा तब से मैं अध्ययनरत नहीं हूँ। इसके समर्थन में संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा त्यागपत्र स्वीकार कर नाम काटने का प्रमाणपत्र मैं काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।

स्थान : -----

दिनांक :-----

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर

4 - आरक्षण

(अ) सी.पी.एम.टी.-2008 की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली प्रत्येक मेडिकल कालेज में उपलब्ध प्रत्येक पाठ्यक्रम की कुल सीटों पर निम्नवत “वर्टिकल” आरक्षण प्रदान किया जायेगा:

(1) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
(2) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
(3) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत

अन्य पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य विधायी अनुभाग की अधिसूचना सं.1576/17-वि.1-1(क)11-2002 दिनांक 31 अगस्त, 2002 द्वारा अधिसूचित उ.प्र. अधिनियम सं.1/2002 की “अनुसूची-एक” में इंगित वर्गों से है। पिछड़े वर्ग के वह अभ्यर्थी जो उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची-दो” अधिसूचना संख्या 22/16/12-का 2/1995 टी.सी. दिनांक 8-12-1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित न हो उनके पुत्र/पुत्री को उक्त आरक्षण अनुमन्य होगा एवं विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1576/सत्रह-वि-1(क)-11/2002 दिनांक 31 अगस्त, 2002 द्वारा अधिसूचित उ. प्र. अधिनियम संख्या-1 सन् 2002 भी प्रभावी होगा।

सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ यदि ऊपर में उल्लिखित कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयनित होता है तो उसे आरक्षित सीटों में समायोजित नहीं किया जायेगा, जैसा कि इस संबंध में शासनादेश पूर्व में निर्गत किया जा चुका है। अतः उपरोक्त प्रस्तुर-अ में उल्लिखित वर्ग की सीटों को भरने से पहले योग्यता के आधार पर 50 प्रतिशत सामान्य सीटों को भरा जायेगा।

(ब) सी.पी.एम.टी.-2008 में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निम्नवत आरक्षण प्रदान किया जायेगा तथा सभी पाठ्यक्रमों में भरी जाने वाली प्रत्येक कालेज की कुल सीटों पर शारीरिक रूप से विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्ति/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों, नियमानुसार महिला अभ्यर्थियों तथा बी. ग्रेडिंग सहित ‘सी’ सर्टिफिकेटधारी एन.सी.सी. कैडेटों को निम्नवत् “हारिजॉन्टल” आरक्षण प्रदान किया जायेगा -

1. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वास्तविक आश्रितों के लिए	- 2 प्रतिशत
2. भूतपूर्व सैनिक(युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्ति/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों के लिए	- 2 प्रतिशत
3. विकलांग अभ्यर्थियों के लिए	- 3 प्रतिशत
4. महिला अभ्यर्थियों के लिए	- 20 प्रतिशत
5. ‘बी’ ग्रेडिंग सहित ‘सी’ सर्टिफिकेट एन.सी.सी. कैडेट	- 1 प्रतिशत

यह आरक्षण हारिजॉन्टल प्रकृति का होगा और उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी में योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/सामान्य श्रेणियों में से उस श्रेणी में रखा जायेगा, जिससे वह संबंधित है। उदाहरणार्थ यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वास्तविक आश्रितों को प्रदत्त आरक्षण के अंतर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का है तो उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार यदि विकलांग अभ्यर्थियों को प्रदत्त आरक्षण के अंतर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी अन्य पिछड़े वर्ग या सामान्य श्रेणी का है तो उसे अन्य पिछड़े वर्ग या सामान्य श्रेणी के लिये आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों/युद्ध में शहीद/ अपंग सैनिकों के पुत्र, पुत्री/विकलांग/महिला अभ्यर्थी इन उपश्रेणियों की अनारक्षित (ओपेन मेरिट) है तो अनारक्षित (ओपेन मेरिट) में रखा जायेगा। विकलांग अभ्यर्थियों की विकलांगता इस सीमा तक न होगी कि चिकित्सा शिक्षा में बाधक हो। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वास्तविक आश्रितों, भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्ति/शहीद पुत्र/पुत्रियों, विकलांग श्रेणी एवं ‘बी’ ग्रेडिंग सहित “सी” सर्टिफिकेट धारी एन.सी.सी. कैडेटों के जो अभ्यर्थी इन उपश्रेणियों में आवेदन करेंगे, वह इसी उपश्रेणी की आरक्षित सीट के विरुद्ध समायोजित किये जायेंगे।

आरक्षण श्रेणियों की सीटों के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जायेगा।

- (क) अनुसूचित जनजाति के अर्ह अभ्यर्थी पूरी संख्या में उपलब्ध न होने पर इन आरक्षित सीटों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।
- (ख) प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर संगत श्रेणी तथा उपश्रेणी जिसके अंतर्गत वह सी.पी.एम.टी.-2008 हेतु अभ्यर्थन कर रहा है, स्पष्ट रूप से इंगित करनी होगी। श्रेणियों का विवरण तथा कोड बिन्दु 11, O.M.R. शीट संबंधी निर्देश के अन्तर्गत पेज 28/29 पर दिये गये हैं। किसी अस्पष्टता अथवा प्रमाण-पत्र के निर्धारित प्रपत्र पर न होने की स्थिति में उसे सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जायेगा तथा उसकी श्रेणी को किसी भी अवसर पर भी परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
- (ग) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयनित होता है, तो उसे आरक्षित सीटों में समायोजित नहीं किया जायेगा। किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों 3 (ग) के प्राविधान लागू होंगे। अभ्यर्थी जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के समकक्ष मेरिट के आधार पर प्रवेश पायेंगे उन्हें उपर्युक्त आरक्षित सीटों की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।
- (घ) अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को खंड 10 में **प्रमाण पत्र संख्या २** पर शासन द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि ऐसे अन्य पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आरक्षण के लाभ के इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित **प्रमाण-पत्र प्रारूप-२** के अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन्हें सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जायेगा।
- (ङ) विकलांग अभ्यर्थियों के सुरक्षित सीटों पर एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस./बी.एच.एम.एस./बी.ए.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थियों को अपनी चिकित्सा परीक्षा मेडिकल कालेज में

गठित विशेष मेडिकल बोर्ड से करानी होगी और उक्त बोर्ड द्वारा इस श्रेणी को आरक्षित सीट के समक्ष उसकी अभ्यर्थन के संबंध में दिया गया निर्णय अन्तिम रूपसे मान्य होगा। उक्त विशेष बोर्ड के गठन के संबंध में आवश्यक आदेश महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे। मेडिकल बोर्ड लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात काउंसिलिंग के पहले दिनांक 20/6/2008 को प्रत्येक राजकीय मेडिकल कालेज में बैठेगा। मेडिकल बोर्ड के समक्ष केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को उपस्थित होना होगा जो लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर विकलांग की श्रेणी में अर्ह घोषित किये जायेंगे। केवल महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा उ.प्र. द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया निर्धारित प्रारूप के प्रमाण-पत्र -3 पर ही मान्य होगा यदि किसी अभ्यर्थी की बोर्ड की राय में विकलांगता एम.सी.आई. द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थी सी.पी.एम.टी. के किसी भी कार्यक्रम में अर्ह नहीं होंगे।

- (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वास्तविक आश्रित और भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र / पुत्रियों तथा बी. ग्रेडिंग सहित “सी” सर्टिफिकेटधारी एन.सी.सी. कैडेट की श्रेणी के आरक्षित अभ्यर्थियों के लिये संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के संबंध में शासनादेशों के साथ संलग्न प्रारूप पर दिये गये प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के जाति प्रमाण-पत्र का निर्धारित प्रारूप प्रमाण-पत्र - 4 है। अन्य राज्य / संघ शासित क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में प्रवासित होकर आये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र प्रारूप-5 पर प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश में निवास के स्थान के जिलाधिकारी/समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। न्याय एवं कार्मिक विभाग द्वारा दिये गये परामर्शानुसार “स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हेतु केवल यह पर्याप्त होगा कि वह व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुत्र/पुत्री, पुत्र का पुत्र, पुत्र की अविवाहित पुत्री हो। आश्रित को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर आर्थिक रूपसे आश्रित होना आवश्यक नहीं होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री द्वारा अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप के प्रमाण-पत्र-6 पर ही प्रस्तुत करना होगा भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों को अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप के प्रमाण-पत्र-7 पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तथा ‘बी’ ग्रेडिंग सहित ‘सी’ सर्टिफिकेट धारी एन.सी.सी. कैडेट को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप के प्रमाण-पत्र-8 पर ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी—यदि खण्ड-10 में दी गयी सूचियों में वर्णित जातियों के अतिरिक्त कोई और जाति भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है परन्तु इन सूचियों में नहीं दर्शायी गयी है तो इसे भी आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

5 - प्रवेश-पत्र

- (क) प्रवेश पत्र डाक से अभ्यर्थी द्वारा लिखित पते पर भेजा जायेगा। यथा संभव प्रयास किया जायेगा कि प्रथम वरीयता नगर में ही उसे केन्द्र आवंटित किया जाये। अभ्यर्थी वेबसाइट पर अपना अनुक्रमांक और परीक्षा केन्द्र ज्ञात कर सकता है।
- (ख) ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसे सी.पी.एम.टी.-2008 के लिए अर्ह पाया गया हो और जो किसी भी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न हो पाया हो परीक्षा शुल्क न तो वापस किया जायेगा और न ही अगले वर्षों के सी.पी.एम.टी. के लिए समायोजित किया जायेगा।
- (ग) अभ्यर्थी को केवल नियत केन्द्र पर ही सी.पी.एम.टी.-2008 में बैठने की अनुमति दी जायेगी। एक बार आवंटित किये गये परीक्षा केन्द्र को बदलने हेतु कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (घ) यदि 3 मई, 2008 तक प्रवेश पत्र प्राप्त न हो तो डुप्लीकेट प्रवेश पत्र हेतु वेबसाइट से अपना रोल नम्बर डाउन लोड कर, आवेदित-पत्र के साथ दिये फोटोग्राफ जिस निगेटिव से बने हों उसी से बना हुआ एक फोटोग्राफ सहित 8 मई, से पहले लखनऊ विश्वविद्यालय, से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन पत्र की फोटो कापी एवं प्रेषण प्रमाण भी लाना आवश्यक होगा। डुप्लीकेट प्रवेश पत्र हेतु 100 रुपये अलग से जमा करने होंगे।
- (ङ) यदि भूल से किसी ऐसे अभ्यर्थी को सी.पी.एम.टी.-2008 में बैठने की अनुमति दे दी जाती है जिसे परीक्षा में बैठने का अधिकार न हो, चाहे उसे अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र दे दिया गया हो, और उस प्रवेश पत्र को सी.पी.एम.टी.-2008 परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक को प्रस्तुत कर दिया गया हो, तो भी चेयरमैन, सी.पी.एम.टी.-2008 को अधिकार है कि वह परीक्षा में बैठने की इस अनुमति को निरस्त कर सकता है।
- नोडल केन्द्र और उनके अनेक समन्वयकों की सूची बाद में प्रकाशित की जायेगी।

6 - अनुचित साधन

सी.पी.एम.टी.-2008 में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर चाहे उनका परिचयन परीक्षा के समय हुआ हो अथवा मूल्यांकन के समय अथवा किसी अन्य स्थिति में, अभ्यर्थी की परीक्षा को निरस्त कर दिया जायेगा। परीक्षा स्थान पर कैलकुलेटर, डिजिटल डायरी, लॉगटेबल, पेजर या सेल्यूलर फोन आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर जाना या प्रयोग करना या अन्य किसी जुगाड़ का प्रयोग करना अनुचित साधनों (Unfair Means) का प्रयोग करना माना जायेगा।

7 - चयन एवं काउंसिलिंग

7.1 मेरिट सूची

सभी कार्यक्रमों में कार्यक्रम एवं कालेज का आवंटन मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा। मेरिट सूची में अभ्यर्थी का मेरिट क्रम जूलोजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तथा बॉटनी के प्रश्नपत्रों में उसके प्राप्तांकों के योग के

आधार पर होगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के उक्त चारों विषयों के प्राप्तांकों का योग समान होता है, तो पारस्परिक मेरिट प्रथमतः जन्तु विज्ञान प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों के मेरिट के क्रम में किया जायेगा। जन्तु विज्ञान के अंक भी समान हों तो रसायन शास्त्र, तथा उसके बाद भौतिक शास्त्र में प्राप्त अंकों के क्रम में मेरिट निर्धारित की जायेगी। यदि उक्त सभी विकल्पों के बावजूद मेरिट निर्धारित नहीं हो पाती तो सम्बन्धित अभ्यर्थियों का मेरिट क्रम कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा नामिति अधिकारी के समक्ष लाटरी (टॉस) के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

7.2 परीक्षाफल/मेरिट सूची की घोषणा

- (क) सी.पी.एम.टी.-2008 के परीक्षाफल/मेरिट सूची प्राप्तांकों की घोषणा प्रदेश के मुख्य समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशित की जायेगी। यह सूचनायें लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट upcpmt.nic.in में भी प्रकाशित होगी। अगर परीक्षाफल घोषित होने के बाद कोई त्रुटि होती है तो आवश्यक संशोधन भी समाचार पत्रों तथा विश्वविद्यालय एवं महानिदेशालय की वेबसाइट में प्रकाशित कराया जायेगा। (इसके अलावा अगर कोई अन्य समाचार पत्र परीक्षाफल अपने आप प्रकाशित करता है, उसमें गलतियाँ रह जाती हैं और इसका संशोधन प्रकाशित नहीं करता है तो इसके लिये चेयरमैन, सी.पी.एम.टी.-2008 अथवा चेयरमैन काउंसिलिंग बोर्ड किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे व उसके आधार पर अभ्यर्थी किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- (ख) सी.पी.एम.टी.-2008 के परीक्षाफल / मेरिट सूची के प्रकाशित होने के पश्चात अंकतालिकायें अभ्यर्थियों को डाक (यू.पी.सी.) द्वारा भेजी जायेगी यदि किसी अभ्यर्थी को उसकी अंकतालिका दो मास के अन्दर नहीं मिलती है तो वह चेयरमैन, सी.पी.एम.टी.-2008 से अपनी अंक तालिका की एक अनुलिपि चेयरमैन, सी.पी.एम.टी.-2008 लखनऊ के नाम 100/- का बैंक ड्राफ्ट भेजकर प्राप्त कर सकता है। परन्तु किसी भी परिस्थिति में परीक्षाफल/मेरिट प्रकाशन के चार माह पश्चात अंकतालिकाएं नहीं दी जायेगी।
- (ग) स्कूटिनी (पुनरीक्षण) का प्रावधान : अभ्यर्थी प्राप्त अंकों का आंकलन स्वयं कार्बन प्रतिलिपि के उत्तरों को Solution key से मिलाकर कर सकता है। परन्तु यदि उसे प्रतीत होता है कि कोई त्रुटि हो गयी है तो वह चेयरमैन सी.पी.एम.टी.-2008 को 300 रुपये प्रति प्रश्न पत्र बैंक ड्राफ्ट भेजकर सादे कागज पर परीक्षाफल घोषित होने के 08 दिन के अन्दर अन्दर आवेदन के साथ स्कूटिनी करा सकता है।

7.3 काउंसिलिंग संबंधी सूचना

- (क) प्रथम चक्र की काउंसिलिंग 17 जुलाई, 2008 के पूर्व होगी। मान्यता प्राप्त कॉलेजों के एम.बी.बी.एस., बी.एच.एम.एस., बी.ए.एम.एस., तथा बी.यू.एम.एस., हेतु काउंसिलिंग की जायेगी तथा काउंसिलिंग संबंधी तिथियाँ समय तथा स्थान व अन्य विवरण परीक्षाफल के साथ यथासंभव प्रकाशित किया जायेगा। काउंसिलिंग का कार्य महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा किया जायेगा तथा इससे सम्बन्धित सूचना महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ.प्र. द्वारा प्रदेश के मुख्य समाचार पत्रों तथा वेबसाइट में प्रकाशित की जायेगी।
- (ख) द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग 25 अगस्त से 28 अगस्त 2008 के मध्य आयोजित की जायेगी जिसका विस्तृत विवरण महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ.प्र. द्वारा उपरोक्त समाचार पत्रों एवं वेब साइट में प्रकाशित कराया जायेगा। अभ्यर्थियों को इस हेतु अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी। द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रथम चक्र से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी भी पुनरावंटन हेतु भाग ले सकेंगे। द्वितीय चक्र में प्राविजनल आवंटन के पश्चात रिक्त उप श्रेणी की सीटों को अन्तिम आवंटन करने से पूर्व उनकी मूल श्रेणी में समायोजित कर आवंटन कर दिया जायेगा। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की रिक्त सीटों का आवंटन अन्तिम करने से पूर्व अनुसूचित जाति की सीटों में सम्मिलित कर अन्तिम आवंटन कर दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि अन्तिम आवंटन से पूर्व यह पाया जाता है कि अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अर्ह अभ्यर्थियों को आमंत्रित करने के पश्चात भी इन श्रेणी की सीटें रिक्त रह गयी हैं, तो उन्हें भी सामान्य सीटों में जोड़कर आवंटित कर दिया जायेगा।
- (ग) काउंसिलिंग आनलाईन की जायेगी। वर्ष 2007 की आनलाईन काउंसिलिंग संबंधी विवरण एवं प्रक्रिया वेबसाइट, upcpmt.nic.in पर उपलब्ध है। वर्ष 2008 के संबंध में आवश्यक संशोधन काउंसिलिंग से पूर्व समावेशित कर दिये जायेगे।

7.4 काउंसिलिंग

- (क) मेरिट में आये अभ्यर्थियों को स्वयं सी.पी.एम.टी.-2008 के प्रवेश पत्र तथा निम्नवत प्रलेखों सहित काउंसिलिंग हेतु नियत स्थान तथा समय पर उपस्थित होना होगा।
1. खंड 3 में वर्णित अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण होने का मूल-प्रमाण-पत्र तथा अंकतालिका।
 2. आवेदित-पत्र के साथ दिये फोटोग्राफ जिस निगेटिव से बने हों, उसी से बना हुआ 1 फोटोग्राफ।
 3. श्रेणी प्रमाण-पत्र (यदि सामान्य श्रेणी के न हो) मूल रूपमें (original)।
 4. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण-पत्र।
 5. यदि बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक हों, दसवीं कक्षा के समकक्ष उर्दू विषय की परीक्षा में उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण-पत्र।
 6. उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने का मूल उपयुक्त प्रमाण-पत्र।
- (ख) काउंसिलिंग नियत दिन के अंत तक पूर्ण न होने पर अगले दिन भी जारी रह सकती है। अभ्यर्थी को अपने रहने, खाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

- (ग) पाठ्यक्रमों की सूची खंड 1 (क) में दी गयी है। कॉलेजों की सूची खंड 8 में दी गयी है जिसमें काउंसिलिंग के समय परिवर्तन हो सकता है।
- (घ) अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में उनके स्टेट रैंक के अनुसार बुलाया जायेगा और पाठ्यक्रमों/ कॉलेजों का आवंटन अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये वरीयता क्रम एवं उस समय उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर किया जायेगा। आरक्षित श्रेणियों की काउंसिलिंग अलग से नहीं होगी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी अपने स्टेट रैंक के अनुसार उपस्थित होंगे तथा उन्हें सामान्य सीट अथवा आरक्षित सीट में से उपलब्ध विकल्प चुनना होगा। हारिजॉन्टल श्रेणी (FF- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, ES-भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवा निवृत्त /शहीद) के पुत्र/पुत्री, PH - विकलांग, WC महिला, NC एन.सी.सी. प्रमाण पत्र धारक) के अभ्यर्थियों को भी स्टेट रैंक के अनुसार ही काउंसिलिंग में भाग लेना होगा। अलग से ही उपश्रेणियों की काउंसिलिंग नहीं होगी जो अभ्यर्थी इन उपश्रेणियों में आवेदन करेंगे उन्हें उपश्रेणियों में समायोजित किया जायेगा।
- (ङ) अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के समय 300 रूपये काउंसिलिंग शुल्क निर्धारित बैंक में अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के नाम से लखनऊ में देय हो, जमा करना होगा।
- (च) काउंसिलिंग के समय छात्रों द्वारा धरोहर के रूप में एक निश्चित धनराशि 5000/- रूपये निर्धारित बैंक में, बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के नाम से लखनऊ में देय हो, जमा करना होगा। यह धरोहर धनराशि अभ्यर्थी द्वारा आवंटित कॉलेज में योगदान देने पर वापस कर दी जायेगी अथवा फीस में समायोजित कर दी जायेगी। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अलग से प्रसारित होंगे। निजी क्षेत्र के कॉलेजों हेतु शासन द्वारा उनके कॉलेज हेतु निर्धारित फीस देय होगी।
- (छ) यदि कोई अभ्यर्थी स्वयं काउंसिलिंग के निर्धारित दिन व समय में उपस्थित नहीं होता है तो केवल उसी काउंसिलिंग में आवंटन से वंचित होगा और अगली काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए अर्ह रहेगा। उसी दिन परन्तु विलम्ब से आने पर तत्समय उपलब्ध सीटों में से ही आवंटन प्राप्त करने का अधिकार होगा। **आवंटन हेतु अभ्यर्थी का स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।**
- (ज) यदि कोई अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता है तो उसे उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि वापस नहीं की जायेगी।

8 - कॉलेजों की सूची/पाठ्यक्रम एवं सीट संख्या

(क) एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम/कॉलेज वार सीटों की कुल संख्या

(i)	छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	155
(ii)	राजकीय मेडिकल कॉलेज	
	जी.एस.वी.एम. मेडिकल कॉलेज, कानपुर	159
	एस.एन.मेडिकल कॉलेज, आगरा	107
	एम.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद*	82
	एल.एल.आर.एम. मेडिकल कॉलेज, मेरठ	82
	एम.एल.वी. मेडिकल कॉलेज, झाँसी	40
	बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर	40
	उ.प्र. आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, सैफई इटावा**	85
	योग : ऐलोपैथिक	750

*प्रवेश माननीय उच्च न्यायालय/शासन के अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

** भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही प्रवेश अनुमन्य होगा।

(ख) बी.डी.एस. पाठ्यक्रम

छत्रपति शाहू जी महाराज चि० विश्वविद्यालय, दंत वि० संकाय	51
योग: बी.डी.एस.	51

(ग)	बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम	
	नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, लखनऊ	50
	लालबहादुरशास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद	50
	कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, कानपुर	50
	डॉ. बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, फैजाबाद	30
	श्री दुर्गाजी होम्योपैथिक मेडिकल, चण्डेश्वर, आजमगढ़	30
	गजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर	50
	केदारनाथ गिरधारी लाल खत्री हो० मे० कॉलेज, मुरादाबाद	40
	योग : बी.एच.एम.एस.	300
(घ)	बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम*	
	राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, लखनऊ	50
	ललितहरि आयुर्वेदिक कॉलेज, पीलीभीत	50
	आयुर्वेदिक कॉलेज, अतर्रा (बौदा)	40
	बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक कॉलेज, झोंसी	40
	शाहू रामनारायण मुरली मनोहर आ० कॉलेज, बरेली	40
	स्वामी कल्याणदेव रा० आ० कॉलेज, रामपुर, मुजफ्फरनगर	30
	लालबहादुर शास्त्री आ० कॉलेज, हंडिया, इलाहाबाद	30
	राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, वाराणसी	40
	योग : बी.ए.एम.एस	320
(ड.)	बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम*	
	यूनानी मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद	40
	तकमिल-उत्तिब कॉलेज, लखनऊ	40
	योग : बी.यू.एम.एस	80

निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों की अद्यतन स्थिति*

निजी क्षेत्र के मेडिकल/ डेंटल कालेजो की सीटो पर राज्य सरकार के अधिनियम उ०प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-२००६ पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 04.01.2007 लागू है। यह आदेश याचिका सं० ३४ (एम०/बी०) 2007 एसोसिएसन आफ प्राइवेट मेडिकल एण्ड डेंटल कालेजेज आफ उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित है। अतः जो भारत सरकार से अनुमति प्राप्त/मान्यता प्राप्त कालेज स्वेच्छा से सी०पी०एम०टी० परीक्षा से छात्र/छात्रा लेना चाहेंगे उन्हें ही छात्र/छात्रा आवंटित किये जायेंगे। इस संबंध में शासन/मा० न्यायालय के जो भी आदेश काउंसिलिंग के समय लागू होंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

9. प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम-2008

रसायन विज्ञान

खण्ड-अ : सामान्य रसायन

1. इलेक्ट्रान प्रोट्रान, न्युट्रान की खोज तथा गुण। नाभिक की बंधन ऊर्जा के प्रारम्भिक विचार। इलेक्ट्रान विन्यास, इलेक्ट्रान शेल, सबशेल, क्वॉन्टम संख्या, पाउली का अपवर्जन नियम।
2. विद्युत संयोजी, सहसंयोजी(कोसल सिद्धान्त सहित) तथा उप सहसंयोजी बंधो और यौगिक की इलेक्ट्रानिक संरचनाओं का विस्तृत अध्ययन।
3. रेडियोऐक्टिवता, प्राकृतिक और कृत्रिम विघटन, अर्द्ध आयु विखण्डन तथा संचयन, समस्थानिक एवं समभारिक, रेडियोऐक्टिव समस्थानिक तथा उनके उपयोग।
4. इलेक्ट्रोड विभव तथा विद्युत-रासायनिक श्रेणी।
5. आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं आक्सीजन संख्या, समीकरणों की आक्सीकरण संख्या और आयन इलेक्ट्रान विधि द्वारा संतुलित करना।
6. गैसीय नियम, गैस समीकरण, डाल्टन के आंशिक दबाव का नियम, ग्रैहम के विसरण नियम पर आधारित सरल गणनाएं।
7. अयातनात्मक विश्लेषण और गुणात्मक विश्लेषण।

खण्ड-ब : अकार्बनिक रसायन

1. मैडलीफ की आवर्त सारणी का विस्तृत अध्ययन (ऐतिहासिक रूपरेखा छोड़कर) परमाणु संरचना के आधार पर तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति/प्रबर्धित आवर्त सारणी। तत्वों का आवर्ती गुण (परमाणु त्रिज्या, आयनन, विभव, इलेक्ट्रान, बंधुता की केवल परिभाषाएं)।
2. हाइड्रोजन और उसके यौगिक-आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन के समस्थानिक, ड्यूट्रियम, भारी जल, हाइड्रोजन परॉक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि H_2O_2 की औद्योगिक निर्माण की रूपरेखा, गुणधर्म, उपयोग, संरचना।
3. प्रथम वर्ग (क्षारीय धातु) के तत्वों का अध्ययन - इलेक्ट्रानिक विन्यास के आधार पर Na, K का आवर्त सारणी में स्थान, Na_2CO_3 , $NaOH$, $NaNH_4$ (HPO_4) H_2O माइक्रोकॉस्मिक लवण की प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक निर्माण की रूपरेखा, गुण धर्म, उपयोग।
4. द्वितीय वर्ग (क्षारीय मृत्तिका) के तत्वों का अध्ययन इलेक्ट्रानिक विन्यास के आधार पर Mg, Ca, Sr, Ba, का आवर्त सारणी में स्थान, प्लास्टर ऑफ पेरिस ($CaSO_4$) H_2O के निर्माण की विधि, गुणधर्म और उपयोग, सीमेन्ट के औद्योगिक निर्माण की रूपरेखा, उपयोग।
5. तृतीय वर्ग के तत्वों का अध्ययन ऐल्युमिनियम का गुण धर्म, उपयोग धातुकर्म, निर्जल ऐल्युमिनियम क्लोराइड, फिटकरी निर्माण की विधि, गुणधर्म, उपयोग।
6. चतुर्थ वर्ग के तत्वों का अध्ययन इलेक्ट्रानिक विन्यास के आधार पर C और Pb का आवर्त सारणी में स्थान, ईंधन गैसों (तेल गैस, जल गैस, कोल गैस, पेट्रोल गैस) बनाने की विधि, औद्योगिक निर्माण की रूपरेखा, उपयोग। $SnCl_2$ काँच का औद्योगिक निर्माण, उपयोग। के निर्माण की विधि, गुणधर्म, उपयोग।
7. पंचम वर्ग के तत्वों का अध्ययन इलेक्ट्रानिक विन्यास के आधार पर N, P, As, Sb, Bi का आवर्त सारणी में स्थान। NH_3 , HNO_2 , N_2O , HNO_3 , P_4 , PH_3 , ऑर्थाफास्फोरिक अम्ल, आर्सेनियम ऑक्साइड-निर्माण की विधि, गुणधर्म, उपयोग। HNO_3 की औद्योगिक निर्माण विधिया, नाइट्रोजनी और फॉस्फटी उर्वरक।
8. षष्ठ वर्ग के तत्वों का अध्ययन O_3 , H_2SO_4 निर्माण की विधि, औद्योगिक निर्माण, गुणधर्म, उपयोग, संरचना।
9. सप्तम वर्ग के तत्वों का अध्ययन, इलेक्ट्रानिक विन्यास के आधार पर Cl, Br, I का आवर्त सारणी में स्थान। क्लोरिन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्लिचिंग पाउडर के निर्माण, औद्योगिक निर्माण, गुणधर्म, उपयोग।
10. अक्रिय गैसे-आवर्त सारणी में स्थान, खोज का इतिहास, सामान्य गुणधर्म, उपयोग।
11. संक्रमण तत्व (1) सामान्य अध्ययन आवर्त सारणी में स्थान, गुणधर्म। (2) IB, IIB, VIII वर्ग के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान (3) Cu, Ag का इलेक्ट्रानिक संरचना के आधार पर स्थान, उनका गणधर्म, उपयोग, धातुकर्म। Ag का गुणधर्म, उपयोग, धातुकर्म। Cu_2Cl_2 तथा $AgNO_3$ का निर्माण की विधि, गणधर्म, उपयोग, (4) Zn, Cd का इलेक्ट्रानिक संरचना के आधार स्थान। केलोमेल, कोरोसिव सब्लीमेंट, $ZnCl_2$ तथा ZnO_2 निर्माण की विधि, गुणधर्म, उपयोग (5) Fe का इलेक्ट्रानिक संरचना के आधार पर आवर्त सारणी में स्थान, धातुकर्म, उपयोग। इस्पात का औद्योगिक उत्पादन तथा भारत में इस्पात उद्योग। मोहर लवण, फेरिक क्लोराइड की निर्माण विधि, गुणधर्म, उपयोग।

खण्ड-स : भौतिक रसायन

1. रसायन साम्य अवस्था: द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, वेग स्थिरांक और साम्य स्थिरांक(केवल समांगी गैस सिस्टम में) ला-शैतालिए के सिद्धान्त का गुणात्मक प्रतिपादन।
2. वैद्युत वियोजन के सिद्धान्त, आस्टवाल्ड का तनुजा नियम, वियोजन की मात्रा, वियोजन स्थिरांक, जल-अपघटन, उदासीनीकरण, अम्ल तथा क्षार की शक्ति, पी.एच. बफर विलयन, अम्ल-क्षार के सूचकों की गुणात्मक विवेचना। विलेयता गुणनफल तथा समायनी प्रभाव (स्थिरांको के निर्धारण को छोड़कर)।
3. विलयन के सान्द्रण को व्यक्त करने के विभिन्न ढंग, विलयन के गुणधर्म, विलेय को मिलाने से वाष्प दाब का अवनमन, परासरण तथा बर्कले हार्टले विधि द्वारा परासरणी दाब का निर्धारण। क्वथनांक के उन्नयन तथा हिमांक के अवनमन द्वारा अवाष्पशील पदार्थों का अणुभार (सूत्रों की व्युत्पत्ति छोड़कर)।
4. दो आमिश्र द्रवों में विलेय का वितरण (संगुणन, विघटन तथा जटलीकरण वाले कारकों को छोड़कर)।
5. उत्प्रेरण : गुणधर्म, समांग तथा विषमांग उत्प्रेरण, माध्यमिक सिद्धान्त, आधुनिक अधिशोषण सिद्धान्त, इन्जाइम उत्प्रेरण।
6. कोलॉइडी विलयन की परिभाषा तथा उसके प्रमुख गुण (इलेक्ट्रानिक गुण छोड़कर)।

7. ताप-रसायन-ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा तथा अवधारणा, अभिक्रिया-ऊष्मा, उत्पादन-ऊष्मा, अदासीनीकरण-ऊष्मा। हैस का नियम और इन पर आधारित गणनाएं।

खण्ड-द : कार्बनिक रसायन

- कार्बनिक यौगिक के शोधन की सरल विधियाँ, प्रभाजी क्रिस्टलन, प्रभाजी-आसवन, भाप-आसवन तथा निर्वात-आसवन, वर्ण प्रक्रम शुद्धता की कसौटी, मिश्रित गलनांक व क्वथनांक निर्धारण।
- कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हैलोजन तथा गंधक के परिमाणात्मक निर्धारण के सिद्धान्त।
- समावयता : संरचनात्मक (श्रृंखला, स्थान, क्रियात्मक तथा माध्यावयवता) त्रिविम समावयवता (लैक्टिक अम्ल की प्रकाशिक समावयवता)।
- हैलोजन एवं हाइड्रोजन हैलाइडों के योगात्मक सरल उदाहरण तथा उनकी क्रियाविधि, निराकरण अभिक्रियाएं (डिहाइड्रोजनीकरण व निर्जलन), बन्धों का सम विषम विदलन।
- कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण व विस्तृत नामकरण आइ.यू.पी.ए.सी. विधि।
- (i) ऐलीफेटिक हाइड्रोकार्बन
 - एल्केन बनाने की सामान्य विधियां तथा गुण।
 - एल्कीन बनाने की सामान्य विधियां तथा गुण।
 - एल्काइन-ऐसीटिलीन का औद्योगिक निर्माण।
 - एथिलीन, ब्युटाडाईन स्टाइरीन पर आधारित उच्च बहुलक बनाने सम्बन्धी प्रारम्भिक विचार।
 - हाइड्रोकार्बनों के स्रोत, पेट्रोलियम, संश्लेषित पेट्रोल, ईंधनों की ऑक्टेन संख्या, भंजन।
- (ii) एल्किल हैलाइड : एल्केन के मोनोहैलोजन-व्युत्पन्न बनाने की सामान्य विधियाँ, एथिल ब्रोमाइड की प्रयोगशाला विधि तथा कार्बनिक संश्लेषण में महत्व। ट्राइ हैलोजन व्युत्पन्न - क्लोरोफॉर्म बनाने की साधारण विधियाँ व गुण।
- (iii) ईथर : डाइएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, गुण व उपयोग।
- (iv) एल्कोहॉल : मोनोहाइड्रिक एल्कोहॉल बनाने की सामान्य विधियां व गुण, मेथेनॉल व एथेनॉल का औद्योगिक निर्माण (किण्वन, एन्जाइम क्रिया), ग्लिसरॉल के सरल गुण।
- (v) एल्डीहाइड व कीटोन बनाने की सामान्य विधियां, तुलनात्मक अध्ययन व सामान्य गुण। फार्मैल्डिहाइड और ऐसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि व उपयोग। बहुलकीकरण व संघनन।
- (vi) कार्बोक्सिलिक अम्ल : फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि व गुण, ऐसीटिक अम्ल औद्योगिक निर्माण व गुण। आक्जेलिक अम्ल के साधारण गुण।
- (vii) कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न।
- (अ) ऐसीटिल क्लोराइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, गुण व उपयोग।
- (ब) ऐसीटिक ऐनहाइड्राइड बनाने की विधि, गुण व उपयोग।
- (स) ऐसीटामाइड के बनाने की विधि, गुण व उपयोग।
- (द) यूरिया बनाने की विधि (अमोनिकल अथवा पोटेशियम सायनेट विधि) तथा गुण।
- (इ) एस्टर्स-एथिल ऐसीटेट बनाने की प्रयोगशाला विधि व गुण। तेल, बसा, साबुन व मोम।
- (फ) ऐमीन्स : एथिलऐमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि व गुण।
- कार्बोहाइड्रेट : मोनो, डाई और पोलोसैकराइडों के प्रभेदी परीक्षण। ग्लूकोज की सामान्य अभिक्रियाएं।
- हमारा भोजन व उसकी संरचना : कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन।
- ऐरोमोटिक यौगिक :
 - हाइड्रोकार्बन, कोलतार आसवन, ऐलिफेटिक ओर ऐरोमोटिक हाइड्रोकार्बनों की अभिक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन।
 - बेंजीन संरचना की रूपरेखा।
 - निम्नलिखित की बनाने के प्रयोगशाला विधि, महत्वपूर्ण गुण व उपयोग : बेंजीन, टॉलूईन, बेजीनसल्फोनिक अम्ल, क्लोरोबेंजीन, फीनॉल, बेंजोल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल, नाइट्रोबेंजीन, ऐनिलीन।

9. Syllabus for Entrance Examination 2008

CHEMISTRY

Section - A: General Chemistry

- Discovery and Properties of electron, proton, neutron. Elementary ideas of binding energy of nucleus. Electronic configuration, electronic shells" subshells, Quantum number, Pauli's exclusion principle.
- Detailed study of Electrovalent, covalent (including Kossels theory) and coordinate bonds and Electronic structure of compounds.
- Radioactivity, Natural and Artificial disintegration, half life, fission and fusion, isotopes and isobars, radioactive isotopes and their uses.
- Electrode potential and electrochemical series.
- Oxidation and reduction reactions, oxidation number, balancing of equations by oxidation number and ion-electron method.
- Laws of gases, gas equation, Dalton Law of partial pressure, Simple numericals based on Graham's Law of diffusion.
- Volumetric analysis and qualitative analysis.

Section - B : Inorganic Chemistry:

- Detailed study of Mendeleev's periodic table (Excluding historical background). Position of the elements in the periodic table on the basis of atomic structure, modern periodic table, periodic properties of elements (Atomic radius, Ionization potential, electron affinity) (Only definitions).
- Hydrogen and its compounds - Position of Hydrogen in Periodic table, isotopes of Hydrogen, Deuterium, Heavy Water, laboratory methods of the preparation of Hydrogen Peroxide, outline of Industrial preparation, properties, uses and structure of H_2O_2 .
- Studies of, First group elements (Alkali metals) - Position of Na, K in the Periodic table on the basis of electronic configuration, Laboratory method for the preparation of Na_2CO_3 , NaOH , NaNH_4 (HPO_4) H_2O microcosmic salt, Outline of their industrial preparation, properties and uses.
- Studies of second group elements (Alkaline earth metals) - Position of Mg, Ca, Sr, Ba in the periodic table on the basis of configuration. Preparation of Plaster of Paris. $(\text{CaSO}_4)_2\text{H}_2\text{O}$ its properties and uses, outline of the Industrial preparation of Cement and its uses.
- Studies of third group elements - Properties of Al, its uses, and metallurgy, method of preparation of Anhydrous AlCl_3 , Alum-their properties and uses.
- Studies of fourth group of elements - Position of C and Pb in the periodic table on the basis of electronic configuration, Fuel gases (oil gas, water gas, coal gas, petrol gas) methods of preparation, outline of Industrial preparation and uses. Out-line of Industrial preparation of glass and uses. Preparation of SnCl_2 its properties and uses, Preparation of White lead, Red lead, basic lead acetate, their properties and use.
- Studies of fifth group elements - Position of N, P, As, Sb, Bi in the Periodic table on the basis of electronic configuration. Preparation, properties and uses of NH_3 , HNO_2 , N_2O , HNO_3 , P_4PH_3 , Orthophosphoric Acid, Arsenious oxide, Methods of Industrial preparation of HNO_3 Nitrogenous and Phosphate Fertilizer.
- Studies of Sixth group elements - Methods of preparation, industrial preparation, uses and structure of O_3 and H_2SO_4 .
- Studies of Seventh group elements - position of Cl, Br, I in the Periodic Table on the basis of electronic configuration. Methods of preparation, Industrial preparation, properties and uses of Cl_2 , Br_2 , I_2 and Bleaching powder.
- Inert Gases - Position in Periodic Table, history of discovery, general characteristics, uses.
- Transition elements - (1) General studies - position in periodic table, properties. (2) Position of IB, IIB and VIII group elements in the periodic Table. (3) position of Cu Ag, on the basis of electronic configuration. Metallurgy, preparation, and uses of Cu and Ag. Properties, preparation, and uses of Cu_2Cl_2 and AgNO_3 . (4) Position of Zn, Cd on the basis of electronic configuration, Methods of preparation, properties and uses of calomel, corrosive sublimate, ZnCl_2 , ZnO . (5) Position of Fe in the periodic Table on the basis of electronic configuration, metallurgy and uses. Industrial production of Steel and Steel Industry of India. Methods of preparations, properties and uses of Mohr's salt and Ferric chloride.

Section - C : Physical Chemistry

- Chemical Equilibrium: Law of Mass action, Velocity constant and Equilibrium constant (only in homogeneous gas system). Qualitative derivation of Le Chatelier's Principle.
- Principle of electrolytic dissociation, Ostwald dilution Law, Degree of dissociation, dissociation constant, Hydrolysis, Neutralization, Strength of acids and bases, pH, Buffer solution, qualitative description of acid bases indicators, solubility product and common ion effect (excluding the determination of constants).
- Different methods to represent concentration of solution, properties of solution, lowering of vapour pressure by mixing a solute, Osmosis and determination of Osmotic pressure by Berkeley and Hartley's method, determination of molecular weight of non-volatile substances by the elevation of boiling point and depression of freezing point (excluding the derivation of formula).
- Distribution of a solute in the non mixing liquid (excluding association, dissociation and complexing agents).
- Catalyst: Properties, homogenous and heterogeneous catalyst, intermediate theory and modern adsorption theory and Enzyme catalyst.
- Definition of colloidal solution and its important properties (excluding electronic properties).
- Thermochemistry - First law of thermo-dynamics, Definition and concept of internal Energy, heat of reaction, Heat of combustion, heat of formation, Heat of neutralisation. Hess's Law and numerical problems based on it.

Section - D : Organic Chemistry

- Simple methods of purification of organic compounds, Fractional crystallisation, Fractional distillation, Steam distillation and vacuum distillation, Chromatography, Criteria of purity, determination of mixed melting points and boiling points.
- Quantitative determination of carbon, hydrogen, nitrogen, halogens and sulphur.
- Isomerism: Structural (chain, position, functional and metamerism). Stereoisomerism (Optical isomerism of lactic acid).
- Simple examples of addition of halogens and hydrogen halides and their mechanism, elimination reaction (dehydro- genation and dehydration). Homolytic and heterolytic fission of bonds. Classification and detailed nomenclature of organic compounds, IUPAC method.
- (i) aliphatic hydrocarbon: a. General preparation and properties of alkanes. b. General preparation and properties of alkenes. c. Alkynes : Industrial preparation of acetylene. d. Elementary ideas about the formation of high polymers based upon ethylene, butadiene and styrene. e. Source of hydrocarbons, petroleum, synthetic petrol, octane number of fuels, cracking.

- (ii) Alkyl Halides: General methods of preparation of monohalogen derivative of alkanes. Laboratory method of ethyl bromide and its importance in organic synthesis. Trihalogen derivatives - General methods of preparation and properties of chloroform.
- (iii) Ether: Laboratory preparation and properties and uses of diethyl ether.
- (iv) Alcohol: General methods of preparation and properties of monohydric alcohols, manufacture of methanol and ethanol, (Fermentation and enzyme control), simple properties of glycerol.
- (v) General methods of preparation, comparative study and general properties of aldehydes and ketones, laboratory preparation and uses of formaldehyde acetaldehyde and acetone. Polymerisation and condensation.
- (vi) Carboxylic acid: Laboratory preparation and properties of formic acid, manufacture and properties of acetic acid, simple properties of oxalic acid.
- (vii) Derivatives of carboxylic acid.
7. (a) Laboratory preparation, properties and uses of acetyl anhydride.
 (b) Methods of preparation, properties and uses of acetic anhydride. .
 (c) Methods of preparation, properties and uses of acetamide
 (d) Urea: Method of preparation (ammonium or Potassium cyanate method) and properties.
 (e) Esters: laboratory preparation and properties, ethyl acetate, oils, fats, soaps and waxes.
 (f) Amines : Laboratory preparation and properties of ethylamine.
- 8 Carbohydrates : Distinction tests of mono, di and polysaccharides, general reactions of glucose.
9. Our food and its constitution: Carbohydrates, proteins, fats and vitamins.
10. Aromatic Compounds:
 (a) Hydrocarbons, coal tar distillation, comparative study of reaction of Aliphatic and Aromatic hydrocarbons.
 (b) Outline of benzene structure.
 (c) Laboratory preparation, important properties and uses of the following: Benzene, Toluene, benzene Sulphonic acid, Chlorobenzene, Phenol, Benzaldehyde, Benzoic acid, nitrobenzene, Aniline.

भौतिकी

(अ) मापन और शुद्धगतिकी

1. किसी प्रयोग के फल के प्रतिशत त्रुटि का आंकलन।
2. विमीय विश्लेषण : किसी भौतिकी राशि का विमा एम.एल.टी.डीटा (ताप) किसी समीकरण का विमीय संतुलन।
3. श्रृंखलायुक्त पथ पर गति : समय-विस्थापन, समय-वेग तथा समय-त्वरण ग्राफ, ग्राफों के बीच परस्पर सम्बन्ध।
4. एक समतल में गति : वेक्टर, वेक्टरों को जोड़ना तथा घटाना (बहुभुज विधि काम में लेनी है) $AB+BC=AC$ । ग्राफीय निगमन पर जोर देना। किसी वेक्टर को एक स्केलर से गुणा करना। एक वृत्तीय पथ पर एक समान गति, अभिकेन्द्र त्वरण और बल की परिणम (जड़त्विय फ्रेम में उपकेन्द्रीय बल का अस्तित्व नहीं होता)। ऐसे अचर त्वरण के अन्तर्गत गति जिसकी दिशा प्रारम्भिक वेग से भिन्न हो (इसी में गुरुत्वा के अन्तर्गत प्रक्षेप की गति शामिल है) समीकरण $V=u+at$ और $s=ut+\frac{1}{2}at^2$ के वेक्टर स्वरूप की आख्या।

(ब) यांत्रिकी

1. गति विषयक न्यूटन का नियम : तथाकथित द्वितीय नियम ($a=F/m$) से ही प्रथम नियम (गैलीलियो का जड़त्व का नियम) और तृतीय नियम ($F_{12}=-F_{21}$) प्राप्त होते हैं। परिवर्ती बल, आवेग ($F.\Delta t$) संवेग का संरक्षण, जेट नोदन का सिद्धान्त।
2. दृढ़ पिण्ड की घूर्णीय गति : बल आघूर्ण, कोणीय त्वरण, जड़त्व अघूर्ण $I=\sum mr^2$ (बल आघूर्ण / कोणीय त्वरण), कोणीय संवेग।
3. कार्य ऊर्जा : गतिज ऊर्जा के व्यंजको ($\frac{1}{2}I\omega^2$) और ($\frac{1}{2}I\omega^2$) का निगमन क्रमशः किसी बल या बल्युगम द्वारा कृत्य कार्य से। स्थितिज ऊर्जा-सामान्य F_x सम्बन्ध के लिए (वक्र के नीचे क्षेत्रफल की ग्राफीय विधि), अचर बल के लिए (उदाहरण : mgh) तथा आदर्श स्प्रिंग के लिए $\frac{1}{2}kx^2$ यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, प्रत्यास्थी और अप्रत्यास्थी संघट्ट (विवरण नहीं)। अप्रत्यास्थी संघट्ट में यांत्रिक ऊर्जा का नियम।
4. सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण : ग्रहों की गति, केपलर के नियम, केन्द्रीय बल और दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के अनुसार बल की निर्भरता के प्रमाण के स्वरूप में (निगमन नहीं) गुरुत्वा का नियम। उपग्रह, कक्षीय चाल और आवर्त काल, भारहीनता की अभिकल्पना। गुरुत्वीय क्षेत्र (nt/Kg) और विभव (J/Kg) प्राक्षेप्य द्वारा प्राप्त उचाई, मुक्त वेग।
5. सरल आवर्त गति : एकसमान वृत्तीय गति के प्रक्षेपण के रूप में शुद्ध गतिकीय वर्णन, सूत्र $Y=A \sin t$ त्वरण का मान स्थानान्तरण से -2 गुना है। सम्बन्ध $\omega^2=k/m$ तथा $t=2\pi m/k$ इसके संप्रयोग (i) सरल लोलक (ii) एक आदर्श स्प्रिंग से लगे पिण्ड के कम्पन में समय स्थानान्तरण ग्राफ, दोलन काल, आवृत्ति, कला। सम्पूर्ण ऊर्जा आयाम के वर्ग के अनुपात में, ऊर्जा का स्थितिज और गतिज रूपों के बीच पारिवर्तन, ऊर्जा क्षय और अवमंदन।
6. प्राणोदिक दोलन और अनुनाद : प्रणोदित कंपनो की सामान्य संकल्पना। अनुनाद का केस यांत्रिक, ध्वनि, रेडियो आदि से उदाहरण।

(स) तरंग गति और ध्वनि

1. यांत्रिक तरंगों की चाल : अनुदैर्घ्य तरंगों के लिए न्यूटन का सूत्र $V=E d$ (उत्पत्ति नहीं), विभिन्न माध्यमों में V के प्रतिरूपी मान। गैसों पर अनुप्रयोग, लाप्लास का संशोधन, दाब और ताप के प्रभाव-डोरी में तरंगों के लिए $V=(T/m)$ (उत्पत्ति नहीं)।

2. प्रगामी तरंगो : एक सरल हारमोनिक प्रगामी तरंग का समीकरण, कला और कलान्तर, तरंग उग्र कण विस्थापन और कण वेग का X के प्रति और t के प्रति ग्राफीय प्रदर्शन । अनुदैर्घ्य तरंगों में दाब परिणामन (गुणात्मक), तीव्रता, आयाम के वर्ग पर निर्भर है (उत्पत्ति नहीं)।
3. तरंगों का परावर्तन और अपवर्तन : तरंग क्रिया के लक्षणों का दिग्दर्शन रस्सी पर स्पन्दों और पानी पर लहरों द्वारा एक ही माध्यम से अनेक तरंगों की परस्पर, अनिर्भरता, दो माध्यमों की सीमा पर आंशिक परावर्तन और आंशिक परागमन, द्वितीयक तरंगिकाओं और नये तरंग-अग्रों के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या $\sin i_1/\sin i_2 = v_1/v_2$
4. तरंगों का अध्यारोपण : दो स्रोतों के कारण स्पेस में व्यक्तिकरण, विवर्तन की संकल्पना और की तुलना में छिद्र अथवा बाधा के आकार पर उसकी निर्भरता, विस्पन्द की घटना, विस्पन्द आवृत्ति मूल आवृत्तियों के अन्तर के बराबर होती है।
5. अप्रगामी तरंगो : बद्ध माध्यम, अप्रगामी तरंगो, निस्पन्दन और प्रसन्द बद्ध माध्यम के कम्पनों के लाक्षणिक आवृत्तियाँ । डोरी और वायु सतम्भों के केस (अन्तः संशोधन जैसी बारीकियाँ नहीं) सोनोमीटर मेलडीज का प्रयोग अनुनाद स्तम्भ और कृण्ड की नलिका।
6. डॉप्लर का सिद्धान्त : स्रोत की गति के कारण और निरीक्षक की गति के कारण डॉप्लर प्रभाव।

(द) स्थूल द्रव्य के सामान्य गुण :

1. गत्यात्मक सिद्धान्त और आदर्श गैस : आण्विक प्रक्षोभ, आदर्श गैस के दाब का निगमन । बॉयल का नियम, ऊष्मीय संतुलन ओर ताप के लिए गत्यात्मक सिद्धान्त की संधारणाएं, ताप का आदर्श गैस माप कम आदर्श गैस समीकरण । उच्च P तथा निम्न T पर आदर्श नियम से विचलन, अणुओं के अशून्य आकार की तथा आंतरिक परस्पर क्रिया की साधारणाएं, वाष्प और गैस के बीच भेद, क्रॉतिक ताप।
2. द्रवों तथा ठोसों के लिए गत्यात्मक मॉडेल: अन्तर आण्विक बल और स्थितिज ऊर्जा वक्र। द्रवों तथा ठोसों के लिए आण्विक मॉडेल। तापीय प्रसार, गलन क्रिया, वाष्पन, उबलना तथा गुप्त ऊष्माओं की प्रारंभिक व्याख्या।
3. प्रत्यास्थता: अनुदैर्घ्य विकृति, प्रतिबल और प्रत्यास्थता का गुणांक। ठोसों की आण्विक मॉडेल पर व्याख्या। अन्तर परमाण्वीय बल नियतांकों का आकलन। आयतन प्रत्यास्थता और दृढ़ता (केवल साधारण संकल्पनाएं)।
4. पृष्ठ तनाव: पृष्ठ तनाव ऊर्जा, अन्तर-आण्विक बलों के आधार पर प्रारंभिक व्याख्या। कोशिका नली में द्रव का ऊपर चढ़ना।
5. द्रवों का प्रवाह: आदर्श तरल, बर्नूली समीकरण और उसके उपयोग। श्यान द्रव्य (सरल संकल्पनाएं मात्र) तरल में चलते पिंड पर शयानीय बल, स्टोक्स का नियम (उत्पत्ति नहीं) सीमान्त वेग।

(इ) ऊष्मा :

1. तापमान : स्थिर आयतन गैस तापमापी, प्रतिरोध तापमापियों का सिद्धान्त $R_1=R_2(1+\alpha t)$ और तापयुग्म तापमापियों का सिद्धान्त। विभिन्न तापमापियों का परास। तापमान में प्रयुक्त अन्य सिद्धान्तों का उल्लेख मात्र, सम्पूर्ण विकिरण, उच्च तापमापी और वाष्पदाव तापमापी।
2. ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम : किसी निकाय द्वारा कृत कार्य $=pdv$ । आंतरिक ऊर्जा फलन U की परिभाषा समीकरण $du=dq-pdv$ से। ऊष्मागतिकी का पहला नियम, U किसी भी अवस्था का एक अद्वितीय फलन। C_p और C_v का अन्तर। आदर्श गैस के लिए $C_p-C_v=R$ फलन U की आकृति के बारे में सामान्य विचार। स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा। अन्तर-आण्विक स्थितिज ऊर्जा, बहुपरीमाण्वीय अणुओं में आंतरिक घूर्णन और कंपन और लेटिस कंपन।
3. समतापीय और स्थिरोष्म संबंध $PV\gamma$ स्थिरांक (उत्पत्ति नहीं) आदर्श गैस की स्थिरोष्म प्रत्यास्थता।
4. ऊष्मा चालन : समतापीय पृष्ठ तथा प्रवणता की सामान्य संकल्पनाएं उष्मा चालकता और अचर में एकविमीय ऊष्मा प्रवाह। ऊष्मा चालकता का गतिज मॉडेल (धातुओं सहित)

(फ) प्रकाश :

1. गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, एकाकी, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन के लिए और एक पतले लेंस के लिए u, v संबंधों के सूत्र (चिन्हों के लिए निर्देशांक ज्यामिति की प्रथाएं अपनाइए) न्यूटन का सूत्र $xx_1=ff_1$ सम्पर्क लेंसों के संयोजन, लेंस की क्षमता।
2. वर्ण विपथन : किसी पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता, एक लेंस का अनुदैर्घ्य वर्ण विपथन, सम्पर्क लेंस का अवर्णक संयोजन।
3. दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी : खगोलीय दूरदर्शी (परीवर्ती और अपवर्ती कोटि के), संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, आवर्धन क्षमता (सामान्य नेत्र के लिए ही), दोनों यन्त्रों के लिए विभेदन क्षमताओं का उल्लेख बड़े द्वारक के दूरदर्शी और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता (विवरण नहीं)।
4. प्रकाश की तरंग - प्रकृति : एक संकरी झिरी से प्रकाश के विवर्तन का और दो झिरी व्यवस्था से प्रकाश के व्यक्तिकरण का प्रारंभिक प्रेक्षण, ऊर्मिका ताल (रिपिल टैक) में तत्व संगत प्रेक्षणों से तुलना तरंग सिद्धान्त पर प्रकाश के परावर्तन और ध्वनि अपवर्तन की व्याख्या (पाठ्यक्रम के भाग स-3 का संदर्भ दें।) फल $v=c/n$ द्रव में प्रकाश का वेग नापने के लिए फूकाऊ का प्रयोग और उसका ऐतहासिक महत्व, यंग के प्रयोग का विश्लेषण, फिजों की चौड़ाई, श्वेत प्रकाश के भागों में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। तरल ध्रुवित प्रकाश प्राम्भासिक ज्ञान, इसका उत्पादन और संसूचन (पट्टिका-पूज और पोलेराइड)।
5. स्पेक्ट्रम : एक ग्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर में स्पेक्ट्रम का बनना, न्यनतम विचलन, कोणीय विक्षेपण, स्पेक्ट्रम के अतिवैजनी और अवरक्त प्रदेश, विशिष्ट गुण विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का व्यापक क्षेत्र रेडियों तरंगों से गामा किरणों तक।
6. प्रकाशमिति : किसी स्रोत की किसी नियत दिशा में ज्योति तीव्रता मात्रक केन्डेला (बक) ल्यूमेन $1/4\pi m^2$ की परिभाषा $=icd sr$, एक केन्डेला ज्योति तीव्रता का समदैशिक स्रोत $4\pi im$ फ्लक्स देता है। किसी लैम्प को ल्यूमेन केन्डेला अथवा वाट में आकना, ज्योति दक्षता का ल्यूमेन केन्डेला अथवा वाट में आकना, ज्योति दक्षता का ल्यूमेन वाट में मापना, किसी पृष्ठ प्रदीप्ति मात्रक लक्स (lx) ल्यूमेन/मीटर², प्रदीप्ति के लिए व्युत्क्रम वर्ग नियम और बवेपदम नियम, विभिन्न व्यावहारिक केसों के लिए ज्योति दक्षता, प्रदीप्ति कर सामान्य परिचय।

(ग) विद्युत :

- विद्युत क्षेत्र और विभव : कूलम्ब का नियम $f=q/4\pi\epsilon_0 r^2$ किसी बिन्दु आवेश का वैद्युत क्षेत्र और विभव। वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र और विभव, (अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दिशा में दीर्घ दूरियों पर) विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म। एकसमान पृष्ठ के गोलीय आवेश का विद्युत क्षेत्र (उत्पत्ति नहीं) विद्युत आवेश की परमाणुकता के लिए प्रमाण (PSSC पुस्तक की विधि काम में लें)।
- धारिता : धारिता का सिद्धान्त, किसी विलगित गोले की धारिता, गोलीय धारित्र की और समांतर प्लेट धारित्र की धारिता, डाइ इलेक्ट्रिक का धारिता का प्रभाव। धारित्रों का श्रेणी और समान्तर संयोजन, आवेशित धारित्र की ऊर्जा $\frac{1}{2} CV^2$, स्प्रिंग में निहित ऊर्जा $\frac{1}{2} Kx^2$, से इसकी तुलना।
- वैद्युत चालन : विद्युत धारा आवेश वाहकों के प्रवाह के रूप में 1 ऐम्पियर = 1 कूलम्ब /से अथवा 6.25×10^{18} मूल इलेक्ट्रॉनिक आवेश प्रति सेकेंड। गैसों तथा धातुओं में चालन, आयनों की संकल्पना, वैद्युत-अपघटन, फ़ैराडे के नियम और विद्युत-रासायनिक तुल्यांक, फ़ैराडे संख्या, धातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, वाहक घनत्व, अनुगमन वेग 'v' और श्रांतिकाल 't' ओहम के नियम की सरल उत्पत्ति, सामान्य चालकों में ताप वृद्धि के साथ चालकता के परिवर्तन की गुणात्मक व्याख्या। ओह्यमी तथा अनओह्यमी परिपथ भाग, परिवर्तनीय-प्रतिरोध $\Delta v/\Delta i$ ।
- सरल परिपथ : वैद्युत सेल ऐसी युक्ति जो आवेश को परिपथ में निरंतर चक्रित कराये, वि.वा.ब. (EMF) सेल का एक लाक्षणिक जिसकी परिभाषा $EMF=W/Q$ है जिसमें w वह कार्य है जो आवेश Q को पूर्ण परिपथ चक्रित करने में है स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध (r) आंतरिक विभव पाठ (ir) शक्ति क्षय ($i^2 r$) किरचाफ के नियम प्रतिरोध का श्रेणी तथा समान्तर बंधन, व्हीटस्टोन जाल का सिद्धान्त, मीटर सेतु का उदाहरण, विभव-विभाजक, विभवमापी।

(ह) विद्युतचुम्बकत्व

- गतिशील आवेश और चुम्बकीय क्षेत्र : छड़ चुम्बकों और धारावाही परिनालिकाओं के व्यवहारों की समानता। एक ऋजु धारावाही पर लगने वाले बल के आधार पर चुम्बकीय क्षेत्र का मापन $F=iBL \sin\theta$ किसी चुम्बकीय क्षेत्र के गतिशील आवेश पर लगने वाला बल $F=i_1 i_2 L/r$ (लारेंस बल)। पूर्वोक्त दो व्यंजकों के बीच संबंध, दो समान्तर धाराओं के बीच बल $F=i_1 i_2 L/r$ (इसकी व्याख्या चुम्बकीय बल क्षेत्र के आधार पर $B=i/r$ पर ऐम्पियर की परिभाषा $f=2(x10^7)i_1 i_2 L/r$ के आधार पर) B के मात्रक की परिभाषा, सूत्र $F=iB \sin\theta$ के आधार पर किसी वृत्ताकार कुण्डली के केन्द्र-बिन्दु पर और किसी लम्बी परिनालिका के भीतर चुम्बकीय बल क्षेत्र (उत्पत्ति नहीं) चल कुण्डली धारामापी का सिद्धान्त, उसे अमापी या वोल्टमापी में परिवर्तन करना। एक ऋजु धारा मोटर का सिद्धान्त
- चुम्बकत्व : चुम्बकीय क्षेत्र में रखे चुम्बक पर बल युग्म, चुम्बकीय द्विध्रुव, चुम्बकीय क्षेत्र में बल युग्म के आधार पर चुम्बकीय आघूर्ण की परिभाषा, विद्युत चुम्बक, चुम्बकत्व का परमाण्वीय मॉडल, कुछ परमाणुओं में अशून्य चुम्बकीय आघूर्ण होता है उसके संरेखण से स्थूल स्तरीय चुम्बकत्व प्रकट होता है, छोटे छड़ चुम्बक का बल क्षेत्र अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दिशा में (क्रमशः $2m/d^3$ और m/d^3) पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र के घटक, इसके स्रोत के विषय में सिद्धान्त।
- विद्युतचुम्बकीय प्रेरण : चुम्बकीय फ्लक्स मात्रक वेबर = 1 न्यूटन मी/ऐम्पियर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फ़ैराडे का नियम, $e=d/dt$ प्रेरित वि.वा.ब. व्याख्या लारेंस बल के पदों में, प्रत्यावर्ती और ऋजुधारा जनित्रों के सिद्धान्त, मोटर में विरोधी वि.वा.ब. के स्वप्रेरक की परिभाषा ($e=Ldi/dt$) कोड पदार्थ पर L की निर्भरता, प्रेरकीय परिपथ में धारा के उत्थान और क्षय का ग्राफीय वर्णन (उत्पत्ति नहीं), अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा ($e=Mdi/dt$) और कोड पदार्थ पर इसकी निर्भरता, ट्रांसफार्मर का सिद्धान्त (गुणात्मक), कोड पदार्थ पर इसकी निर्भरता, ट्रांसफार्मर का सिद्धान्त (गुणात्मक), माइक्रोफोन (चल कुण्डली और कार्बन कोटि के), चल कुण्डली लाउडस्पीकर।
- प्रत्यावर्ती धारा परिपथ : वोल्टता तथा धारा का समय के साथ ग्राफीय चित्र V तथा I का मान कला-अन्तर अनुपात V_0/I_0 का मान आवृत्ति पर निर्भर करता है, प्रतिबाधा (Z) केवल R तथा के L परिपथ के लिए $Z^2=R^2+L^2$ और $\tan A=L/R$ (उत्पत्ति) माध्य मूल मान $V_0/2$ और $I_0/2$ शक्ति $1/2 V_0 I_0 \cos\theta$ चोक कुण्डली धारा। किसी LC परिपथ में कंपन आवृत्ति (कथन), $F=1/2\pi LC$ (एक स्प्रिंग पर लगे पिंड के कंपनों से तुलना)।

(ई) इलेक्ट्रॉन भौतिकी :

- डायोड और ट्रायोड : किसी धातु को गरम करने पर इलेक्ट्रॉनों का उबलना, एक डायोड की दिष्टकारी क्रिया, ट्रायोड और उसके स्थैतिक अन्योन्य अभिलाक्षणिक, ट्रायोड एक प्रवर्धक के रूप में।
- कैथोड किरणें और धनात्मक किरणें : कैथोड किरणें गतिशील किरणों के रूप में कणों के em का निर्धारण (एक ही समय में विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्रों के उपयोग से), इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड किरण कंपनदर्शी (सामान्य क्रियाविधि मात्र), धनात्मक किरणों के e/m आयन समस्थानिक।
- प्रकाश-विद्युत प्रभाव : प्रकाश-विद्युत घटना, देहली आवृत्ति EK का मान प्रकाश की तीव्रता पर अनिर्भर सम्बन्ध $E_k=A_v-B$ प्रयोगिक फल के रूप में जिसमें B कैथोड पृष्ठ है, A सार्वत्रिक स्थिरांक है। प्रकाश-विद्युत प्रभाव की आइंस्टाइन द्वारा दी गयी व्याख्या $A=h$ प्लाक स्थिरांक और $B=h\nu$ कार्यफलन।

(ज) विकिरण और परमाणु भौतिकी :

- विकिरण : विकीर्ण ऊर्जा तथा प्रकाश की प्रकृति की समानता, किसी पृष्ठ की उत्सर्जकता और अवशोषकता, किरचौफ का नियम। कृष्ण पिण्ड की संकल्पना स्टीफन का नियम, कृष्ण पिण्ड विकिरण का स्पेक्ट्रमी वितरण- ग्राफीय (सूत्र नहीं) प्लांक की परकल्पना (परिचय मात्र)।
- परमाणु की संरचना : ऐल्फा कणों के प्रकीर्णन के रदरफोर्ड के प्रयोग और उनके निष्कर्ष : (1) धनात्मक आवेश के संकेन्द्रण के विषय में (2) कुलम्ब नियम की अनुप्रयोजकता के विषय में।

3. स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति : फ़ाक हट्ज के प्रयोग परमाणुओं के विविक्त ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर आलेख, उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम पदार्थ की अवस्थाओं से इनका संबंध, फ्रॉनहोफर रेखाएं और उनकी व्याख्या प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति।
 4. एक्स-किरणें : उत्पादन (कुलिज नली), तीव्रता और भेदकता पर नियंत्रण किरणों की विद्युतचुम्बकीय तरंग प्रकृति।
- (क) **न्यूक्लीय भौतिकी :**
1. रेडियोक्टिवता : ऐल्फा, बीटा और गामा किरणों की प्रकृति, अर्द्धआयु संकल्पना और रेडियाऐक्टिव क्रिया की सांख्यिकी प्रकृति कणों को गिनने के लिए प्रस्फुरण पदों और उनके पथ को अंकित करने के लिए अग्र-कोष्ठ (केवल सामान्य विचार जिसमें चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा पथ-अंकन सम्मिलित है), न्यूक्लियस का संगठन, मूल कण e, n, p, Δ, p और उनके एन्टीकण।
 2. न्यूक्लियर ऊर्जा : न्यूक्लियर विखण्डन, द्रव्यमान-क्षति, द्रव्यमान-ऊर्जा संबंध $\Delta E = C^2 \Delta m$, द्रव्यमान संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण के नियमों का एकीकरण, न्यूक्लियर रिएक्टर के सिद्धान्त, न्यूक्लीय संलयन का सामान्य ज्ञान, सूर्य ऊर्जा का आधार।

PHYSICS

(a) Measurement and Kinematics

1. Estimation of percentage error in the result of an experiment.
2. Dimensional analysis: dimension of a physical quantity M, L, T, e (Temperature), Dimensional balance of any equation.
3. Motion along straight line path: Time-displacement, time-velocity, and time-acceleration graphs. Interrelationship among the graphs.
4. Motion in a plane: Vector addition and subtraction (Laws of Polygon to be used). ($AB+BC=AC$), Graphical deduction has to be emphasized. Multiplication of a vector by a scalar. Uniform motion on a circular path, magnitude of centripetal acceleration and force (Centrifugal force does not exist in inertial frame). Motion under a uniform acceleration along a direction other than that of the initial velocity (motion of projectile under gravity is included herein Interpretation of the vector form of the equation $v=u + at$ and $s = ut + \frac{1}{2}at^2$).

(b) Mechanics

1. Newton's Laws of Motion: the first law (Galileo's Law of Inertia) and the third law ($F_{12} = -F_{21}$) are obtained from the second law ($a=F/m$), variable force, Impulse ($F \cdot At$), conservation of momentum, Principle of jet propulsion.
2. Rotatory motion of a rigid body: Torque, angular acceleration, moment of inertial $I = \sum mr^2$ (torque angular acceleration), angular momentum.
3. Work Energy: Derivation of expression for kinetic energy ($\frac{1}{2}mv^2$) and ($\frac{1}{2}I\omega^2$) respectively from work done by a force and by a couple. Potential energy for a general F_x relation (using the method of area under the curve) for a constant force (e.g. mgh) and for spring $\frac{1}{2}kx^2$. Conservation of mechanical energy. Elastic and Inelastic collisions (no description). Law of mechanical energy in inelastic collisions.
4. Universal Gravitation: Motion of planets, Kepler's laws. Law of gravitation in terms of central force and dependence of force on inverse of square of distance (no derivation). Planets, orbital motion and time period, concepts of weightlessness. Gravitational field (N/Kg) and potential (J/Kg). Height attained by the projectile, escape velocity.
5. Simple harmonic motion: Pure kinetic motion in terms of projection of uniform circular motion. Formula $y = A \sin ut$. Magnitude of acceleration is $-u^2$ times the displacement, kinetic description that motion in which the force is $-k$ times the displacement. Relation $u^2 = k/m$ and $t = 2\pi \sqrt{m/k}$ and its uses in (i) Simple Pendulum (ii) Oscillation of a body attached in an ideal spring. Time displacement graph, time period, frequency, phase. Total energy in terms of square of amplitude, conversion of energy in the form of potential and kinetic energies, dissipation and damping.
6. Forced oscillation and resonance: Elementary concept of forced oscillations, cases of resonance - examples from mechanics, sound and radio etc.

(c) Wave Motion and Sound

1. Speed of mechanical waves: Newton's formula $v = \sqrt{E/d}$ (no derivation) for longitudinal waves. Order of magnitude of v in various media. Application to gases, Laplace's correction, effect of temperature and pressure for waves on string $v = \sqrt{T/m}$ (no derivation).
2. Progressive wave: Equation for a simple harmonic progressive wave, phases and phase difference, Wave front graphical representation of particle velocity against x and t . Qualitative picture of pressure variations in longitudinal waves, intensity dependence on square of amplitude (no derivation).
3. Reflection and refraction of waves: Demonstration of characteristics of wave motion with the help of pulse on a string and on water. Mutual independence of various waves in the same medium. Partial reflection and transmission at the interface of two media, Explanation of reflection and refraction on the basis of secondary wavelets and new wave fronts: $\sin i_1 / \sin i_2 = v_1 / v_2$
4. Superposition of waves: Interference in space due two sources, concept of diffraction and its dependence on hole or obstacle of size, phenomenon of beats, beat frequency equals the difference of parent frequencies.
5. Stationary waves: Bounded medium, stationary waves, nodes and anti nodes, Characteristic frequencies of vibration of a bounded medium. Cases of string and air columns (excluding end correction etc.) Sonometer, Melde's experiment, Resonance column and Kundt's tube.
6. Doppler's Principle: Doppler effect due to the motion of the source and due to the motion of the observer.

(d) General Properties of Matter

1. Kinetic theory and ideal gases; Molecular agitation, deduction of pressure of an ideal gas, Boyle's Law. Kinetic theory - concept of thermal equilibrium and temperature, Perfect gas equation, deviation from the ideal gas equation at high pressure and low temperature, concepts of finite size of molecules and their mutual interactions. Distinction between gas and vapour, critical temperature.
2. Kinetic models for liquids and solids: Intermolecular forces and potential energy curve. Molecular models for the liquids and solids, Elementary explanation for thermal expansion, fusion. Vaporization, boiling and latent heats.
3. Elasticity: Longitudinal strain, stress and modulus of elasticity. Explanation on the atomic models of solids. Estimation of interatomic force constant. Bulk modulus and rigidity (Only elementary ideas).
4. Surface tension: Surface tension, surface energy. Elementary explanation on the basis of inter molecular forces. Rise of liquid in a capillary tube.
5. Flow of liquids: Ideal fluids, Bernoulli's equation and its application. Viscous fluids (elementary concepts only), viscous force on a solid moving in fluid, Stoke's Principle (no derivation), terminal Velocity.

(e) HEAT

1. Thermometry: Constant Volume gas thermometer, Principles of Resistance Thermometer $R_t = R_0(1 + \alpha t)$ and principle of the thermocouple thermometer. Range of various thermometers. Brief explanation of the various other principles used in thermometry. Total radiation, pyrometer and vapour pressure thermometer.
2. First law of thermodynamics: work done by a system = $p \, dv$. Definition of the internal energy function U from the relation $dU = dQ - p \, dv$. First Law of thermodynamics. U a unique function of any state. Distinction between C_p and C_v . Derivation of $C_p - C_v = R$ for an ideal gas. General features of the $p \, v$ function U . Transitional kinetic energy, intermolecular potential energy, internal rotation and vibration in polyatomic molecules and lattice vibrations.
3. Isothermal and Adiabatic Processes: Definitions, Isothermal elasticity of ideal gas: Adiabatic relationship $p \, v^\gamma = \text{constant}$ (no derivation), adiabatic elasticity of an ideal gas.
4. Thermal Conduction: Elementary concepts of isothermal surface and temperature gradient. Thermal conductivity and one dimensional heat flow in the steady state, kinetic model of thermal conductivity (including metals).

(f) Light

1. Refraction at spherical surfaces: Refraction at spherical surfaces. Derivation of the expression for u, v relationship for refraction at a single spherical surface and a thin lens, (Sign conventions of coordinate geometry to be followed) Newton's formula $xx' = ff'$, combination of lens.
2. Chromatic aberration: Dispersive power of a material, Longitudinal chromatic aberration in a lens, Achromatic combination two lenses in contact.
3. Telescope and Microscope: Astronomical telescope (reflecting refracting types), compound microscope, magnifying power (for normal eye only). Mention resolving power for both the instruments, need of large aperture telescope and electron microscope (for normal eye only). Mention resolving power for both the instruments, needs of large aperture telescope and electron microscope (no description).
4. Wave nature of light: Elementary observation of diffraction of light by a narrow single slit and interference of light by double slit arrangement, comparison with the corresponding observations in ripple tank. Explanation of reflection of lights and refraction of sound on the basis of the wave theory (refer course item c-3). Expression $v = c/n$. Foucault's experiment for the measurement of the velocity of light in liquid and its historical significance. Analysis of Young's experiment, Fringe width, Wave-length of light in various regions of white light. Elementary ideas of plane polarized light, its production and detection (Pile of plates and polaroids).
5. Spectrum: formation of spectrum in a prism spectrometer, Minimum deviation and angular dispersion, Ultraviolet and infrared regions of the spectrum, Characteristic properties, complete range of the electromagnetic spectrum: radio wave to gamma rays.
6. Photometry: Luminous intensity of light source at a point in particular direction. Unit candela (cd). Definition of Lumen (L_m) = 1 cd sr. An isotropic source of luminous intensity of 1 cd gives a total flux of 4 π lm. Rating of a lamp in lumens, candela or watt, Unit lux illumination of a surface (I_x) = lumen/meter², measurement of luminous efficiency in lumens watt, illumination in terms of inverse square law and cosine law. Brief introduction of luminous efficiency, illuminance etc. for various practical cases.

(g) Electricity

1. Electric field and potential: Coulomb's Law $F = q_1q_2/(4\pi\epsilon_0 r^2)$. Electric field and potential due to a point electric dipole (In longitudinal and transverse position at large distances). Couple acting on a dipole placed in an electric field. Electric field due to a sphere with uniform surface charge density (No Derivation), Proof of atomicity of electric charge. (The procedure of PSSC book to be followed).
2. Capacity: Principle of condenser, capacity of an isolated sphere, a spherical condenser and a parallel plate condenser. Effect of dielectric on the capacity. Series and parallel combination of condensers, energy of a charged condenser $\frac{1}{2} CV^2$, its comparison with the energy of a stretched spring $\frac{1}{2} Kx^2$.
3. Electric conduction: electric current as a flow of charge carriers. 1 Ampere = 1 coulomb/sec, or 6.25×10^{18} electronic fundamental charge/sec. Conduction in gases and solutions, concepts of ions, Electrolysis, Faraday's Laws and Electrochemical equivalent, Faraday's number, Free electrons in metals, carrier density, drift velocity v and relaxation time τ Simple derivation of Ohm's law. Qualitative explanation of the

variation of conductivity of normal conductors with temperature. Ohmic and nonohmic circuit elements, Dynamic resistance A_v/A_i .

- Simple Circuits: Electric cell as a device which continuously drives charges round a circuit. Electromotive force a characteristic of cell, EMF defined as $= W/Q$, where W is work done in carrying a charge Q around a closed circuit. Internal resistance of a source (r), Internal potential drop (ir) and power (i,r) Kirchhoffs Laws: Series and parallel combination of resistances, Principle of Wheatstone's bridge, example of meter bridge. Potential divider, Potentiometer.

(h) Electromagnetism

- Moving charges and magnetic field: Similarities in the behaviour of bar magnet and solenoidal current, measurement of a magnetic field on the basis of force on a linear current $F=iBL$ sine, force on a moving charge in a magnetic field $F=qv \times B$ sine e (Lorentz force). Relation between these two expressions, force acting between two parallel linear currents $F_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2i_1 i_2 L}{r}$. Its interpretation on the basis of magnetic field B . Definition of Ampere using the expression $F = (2 \times 10^{-7}) \frac{i_1 i_2 L}{r}$ and definition of the unit of B using the expression $F = iBl$ sine. Magnetic field at the centre of circular coil and inside a long solenoid (no derivation), Principle of moving coil galvanometer, its conversion into Ammeter and voltmeter. Principle of D.C. Motor.
- Magnetism: Couple acting on a bar magnet placed in a magnetic field, magnetic dipole. Definition of magnetic moment on the basis of couple acting in a magnetic field. Electromagnet. Atomic model of magnetism, some atoms have non-zero moment and their alignment gives rise to microscopic magnetism, magnetic field due to a small bar magnet in longitudinal and transverse positions ($2m/d^3$ and m/d^3 respectively), component of earth's magnetic field, theories regarding its origin.
- Electromagnetic Induction: Magnetic flux, its unit weber. $1 \text{ weber} = 1 \text{ newton meter/Ampere}$. Faraday's law of electromagnetic induction, $e = -d\phi/dt$. Interpretation of induced e.m.f. in terms of Lorentz force. Principle of A.C. and D.C. Dynamos. back e.m.f. in a motor, definition of self inductance ($e = -L di/dt$). Dependence of L on the core material. Graphical description of rise and decay of current in an inductive circuit (no derivation). Definition of mutual inductance ($e = -M di/dt$) and its dependence on the core material. Theory of transformers (qualitative). Microphone (moving coil and carbon type) moving coil loudspeakers.
- Alternating current circuits: Graphical representation of voltage and current as a function of time, phases difference between V and I . Value of the ratio of Voltage depends on frequency and the impedance Z for a circuit containing only Resistor L , $Z^2 = R^2 + \omega^2 L^2$ and $\tan A = \omega L/R$ (no derivation), root mean square value V_{rms} and I_{rms} power $P = VI \cos \phi$, choke coil, wattless current. Oscillation in an LC circuit, (Statement only). Frequency of an LC circuit, $F = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ (Analogy with oscillation of a mass attached to a spring).

(i) Electrons Physics

- Diode and triode: Emission of electron from metals on heating, Rectifying action of diode, Triode and its static mutual characteristics, Triode as an amplifier.
- Cathode rays and Positive rays: Cathode rays as stream of particles determination of e/m of the particles (using simultaneous electric and magnetic fields) discovery of the electron. Cathode ray oscilloscope (Elementary working principle only), e/m of positive rays, ions isotopes.
- Photoelectric effect: Photoelectric phenomenon, threshold frequency, E_k is independent of the light intensity, empirical relation $E_k = A\nu - B$, where B depends on the cathode surface and A is a universal constant, Einstein's explanation of photoelectric effect. $A = \text{Planck's constant}$ and $B = \text{the work function}$.

(j) Radiation and Atomic Physics

- Radiation: Similarity between the nature of radiant energy and lights/Absorptivity, emissivity of surface, Kirchhoffs law, concept of a black body, Stefan's law, graphical description of spectral distribution of black body radiation (no formulae), elementary ideas of Planck's hypothesis.
- Structure of atom: Rutherford's experiments on particle scattering and his conclusions regarding (i) positively charged nucleus and (ii) applicability of Coulomb's law.
- Origin of spectrum: Experiments of Franck and Hertz, quantized energy states of atoms, energy level diagram, emission and absorptions spectrum. Spectral series of Hydrogen atom, continuous, line and band spectra: their relationship with the state of matter, Fraunhofer lines and their explanation. Fluorescence and phosphorescence.
- X-ray: Production (Coolidge tube), control on the intensity and penetration, electromagnetic nature of X-rays.

(k) Nuclear Physics

- Radioactivity: Nature of alpha, beta and gamma rays, concept of half life and statistical nature of the phenomenon of radioactivity. Scintillation screen and cloud chamber respectively for counting and tracking the charged particles (only general features including path tracking by a magnetic field), Composition of nucleus, fundamental particles, e, n, p, A, p and their antiparticles.
- Nuclear energy: Nuclear fission.. mass defect, mass energy relation $E = mc^2$, Unification of the principles of conservation of mass and conservation of energy. Principle of nuclear reactor. Elementary ideas of nuclear fusion, origin of solar energy.

वनस्पति विज्ञान

खण्ड-अ : सामान्य

- कोशिका : संरचना और कार्य की इकाई के रूप में, कोशिका घटकों की सूक्ष्म संरचना जैसा कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई

देता है: माइटोकॉन्ड्रिया, लवक (प्लास्टिड), तारककाय (एण्डोप्लाज्मिक रटिकुलम), राइबोसोम, केन्द्रक तथा केन्द्रक झिल्ली, डी.एन.ए. और आर.एन.ए. जीवद्रव्य झिल्ली (प्लाज्मा मेम्ब्रेन) और कोशिका भित्ति के संदर्भ में।

2. (अ) **जीवद्रव्य** : (प्रोटोप्लाज्म एक अत्यन्त जटिल संगठन इसके अवयव, भौतिक तथा रसायनिक गुण।
(ब) **अजीवद्रव्य** (नॉन प्रोटोप्लाज्मिक) घटक : कोशिका अन्तर्वेशन और उनका महत्व।
3. **कोशिका निर्माण** : स्वतंत्र कोशिका निर्माण, असूत्री विभाजन (एमाइटोसिस), कायिक सूत्री (सोमेटिक माइटोसिस), डी.एन.ए. का द्विगुणन तथा इसका संतति कोशिकाओं में स्थानान्तरण सूत्री विभाजन का महत्व, अर्द्धसूत्री विभाजन क्रिया और जीवनचक्र से इसका सम्बन्ध जन्तु कोशिका और पादक कोशिका के कोशिका विभाजन में अंतर।
4. **पारिस्थितिकी** :
(अ) इसका तात्पर्य, पारिस्थितिकीय कारक (जलवायु सम्बन्धी), मृदीय, भू-आकृति सम्बन्धी तथा जैवीय।
(ब) पारिस्थितिक समूह (इकोसिस्टम) का प्रारंभिक ज्ञान उसका तात्पर्य और संरचना, अजैविक और जैविक घटक, उदाहरणार्थ (डोकम्पोजर्स) तालाब तथा वनों का इकोसिस्टम।
(स) खाद्य श्रृंखला : खाद्य-जाल तथा खाद्य-पिरामिड, पारिस्थितिक समूह, इकोसिस्टम में मानव।
(द) वातावरणीय प्रदूषण (पॉल्यूशन) का प्रारंभिक ज्ञान, इसके कारण और नियंत्रण प्रदूषण के प्रकार घरेलू अपमार्जक (डिटरजेंट), वहित मल (सीवेज), उद्योग से रसायन स्वतः चल निर्वाहक (ऑटोमोबाइल एकजॉस्ट), विद्युत्नाभिक, रेडियोधर्मी (रेडियोएक्टिव) पदार्थ, धुंआ, ध्वनि तथा कीटनाशक।
(इ) भूमि संरक्षण

5. **आनुवांशिता** : इसका तात्पर्य, मेंडेलवाद, मेंडेल के प्रयोग और वंशानुगत के नियम।

खण्ड-ब : प्रारूप तथा विशिष्ट अध्ययन

1. वनस्पति जगत का आधुनिक वर्गीकरण (ओसवालड और टिप्पू की पुस्तक के संदर्भ में)।
2. बीजाणुजनन : सूक्ष्म (माइक्रो) और गुरु (मेगा) बीजाणुओं का निर्माण।
3. एक आवृतबीजी पौधों के बीज निर्माण तक के जीवन इतिहास का विस्तृत अध्ययन।
4. फल।
5. फल और बीजों का प्रकीर्णन।
6. कोशिका विभेदन : वनस्पति ऊतक, विभज्योतिकी (मेरिस्टोमेटिक) और स्थायी ऊतकों का वर्गीकरण और उनके कार्य तथा ऊतक तंत्रों का वर्गीकरण।
7. प्रारूपिक जड़, स्तम्भ और पर्ण ऊतकी : द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री स्तम्भों में अंतर। जड़ और स्तम्भ में सामान्य द्वितीय वृद्धि। पारिस्थितिक प्रारूपों की आंतरिक संरचना का मौलिक ज्ञान (जलोद्भिद् और समोद्भिद्)।
8. महत्वपूर्ण संघों (फाइला) से निरूपक (रिप्रेजेंटेटिव) प्रारूपों का क्रमबद्ध (सिस्टेमेटिक) अध्ययन, निर्मांकित का प्राप्ति स्थान, संरचना शरीर और जीवन-चक्र।
(अ) शैवाल (एल्गी) : प्रारंभिक ज्ञान (सामान्य लक्षण तथा उपयोग यूलोथ्रिक्स तथा स्पाइरोगाइरा का विस्तृत अध्ययन।
(ब) जीवाणु : संरचना, पोषण विधियाँ, प्रजनन और आर्थिक महत्व।
(स) कवक : कवक की स्थूल रूपरेखा राइजोपस व यीस्ट का विस्तृत अध्ययन और उसका आर्थिक महत्व।
(द) ब्रायोफाइटा : ब्रायोफाइटा की एक स्थूल रूपरेखा और उसका आर्थिक महत्व, मौस का विस्तृत अध्ययन (उदाहरण-फ्यूनेरिया)।
(इ) टेरिडोफाइटा : टेरिडोफाइटा की एक स्थूल रूपरेखा पर्णांगों (फर्न) का विस्तृत अध्ययन (उदाहरण-फ्यूनेरिया)।
(फ) अनावृतबीजी (जिम्नोस्पर्म) : सामान्य विवरण साइकस के जीवनवृत्त की रूपरेखा।
9. आवृतबीजी (एन्जियोस्पर्म) का स्थूल वर्गीकरण, निर्मांकित कुटुम्बों का विवरण, पहचान और आर्थिक महत्व: क्रूसीफेरी, माल्वेसी लैगुमिनोसी, सोलैनेसी, काम्पोजीटी, कुकरबिटेसी तथा लिलियेसी।
10. (अ) पादक भस्म तथा मिट्टी जल में अकार्बनिक पोषकों का रासायनिक संगठन, मूल रोमों द्वारा अवशोषण, परासरण, चालन, मूल दाब।
(ब) नाइट्रोजन चक्र।
(स) पादपों में पोषण की विशेष विधियाँ : (स्वपोषित, परपोषित, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी, कीटाहारी) और उनका पारिस्थितिक संबंध।
11. प्रकाश-संश्लेषण : हरित लवक, प्रकाश का कार्य, क्लोरोफिल और कार्बन डाईऑक्साइड की आवश्यकता, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। ए.टी.पी. का निर्माण तथा कार्य। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद तथा प्रकाश संश्लेषण का महत्व।
12. वाष्पोत्सर्जन : कारक और महत्व रन्ध्र के खुलने तथा बन्द होने की क्रियाविधि।
13. खाद्य का स्थानांतरण और संचयन।
14. श्वसन : ऑक्सीय एवं अनॉक्सीय, श्वसन की क्रियाविधि में मुख्य चयन (ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेक्स का प्रारंभिक ज्ञान। फर्मेंटेशन का प्रक्रम और उसका आर्थिक महत्व।
15. वृद्धि तथा गति : वृद्धि की परिभाषा, वृद्धि के क्षेत्र और उसका मापन, पौधों में गति के मुख्य प्रकार, हार्मोन तथा वृद्धि में उनका कार्य।

BOTANY

Section- A : General

1. **The cell:** As a unit of structure and function, fine structure of cell components as seen in electron microscope: in reference to mitochondria, plastids, centrosome, lysosome, Microsome, Endoplasmic reticulum, ribosome, nucleus and nuclear membrane, DNA and RNA plasma membrane and cell wall.
2. (a) **protoplasm** : A highly complex organization, its constituents, physical and chemical properties.
(b) **Non-protoplasmic components** : Cell inclusion and their significance.
3. **Cell formation** : Free cell formation, amitosis, somatic mitosis, duplication of DNA and its transfer to daughter cells, significance of mitosis, process of meiosis and its relation to life-cycle. Differences in cell division between animal cell and plant cell.
4. **Ecology:**
(a) Its meaning, ecological factors (climatic, physiographic, edaphic and biotic).
(b) Elementary knowledge of Ecosystem, its meaning and structure, abiotic and biotic components e.g., minerals and gases dissolved in water, producer, consumers, decomposers. Pond and forest ecosystem.

- (c) Food chain: Food web and food pyramids, man in the ecosystem.
- (d) Elementary knowledge of environmental Pollution: Its causes and control, kinds of pollution, Household detergents Sewage, Chemicals from Industry, Automobile exhausts, Nuclear fission, Radioactive substances, Smoke, sound and pesticides.
- (e) Soil-conservation.
5. **Heredity** : Its meaning, Mendelism, Mendel's experiments and Laws of inheritance.
- Section-B : Typical and Specific Studies**
1. A modern classification of plant kingdom (Ref. Oswald and Tippos book).
 2. Sporogenesis: Formation of micro and mega spores.
 3. Detailed study of life - history of an angiospermic plant upto seed formation.
 4. Fruits
 5. Dispersal of fruits and seeds.
 6. Cell differentiation: Plant tissues, classification of meristematic and permanent tissues and their works. classification of permanent tissue systems.
 7. Histology of typical root, stem and leaf: Differences between Dicot and Monocot stems, general and secondary growth of root and stem, basic knowledge of internal structure of ecological types (hydrophytes, Xerophytes and Mesophytes).
 8. Systematic study of representative types from the important phyla: occurrence, structure and life history of the following: (a) Algae: Elementary knowledge (general characters and uses), detailed study of Ulothrix and Spirogyra. (b) Bacteria : Structure, modes of nutrition, reproduction and economic importance. (c) Fungi: a broad outline of fungi and detailed study of Rhizopus and Yeast, their economic importance. (d) Bryophyta: Broad outline of bryophytes and their economic importance, Detailed study of Moss e.g. Funaria. (e) Pteridophyt a: A broad outline of pteridophytes, detailed study of Ferns e.g. Pteris or Dryopteris. (f) Gymnosperms: General account and outline of lifecycle of Cycas.
 9. Broad classification of Angiosperms. Description, identification and economic importance of the following families: Cruciferae, Maivaceae, Leguminosae, Solanaceae, Compositae, Cucurbitaceae and Liliaceae.
 10. (a) Composition of plant ash, inorganic nutrients in soil water, absorption by root hairs, osmosis, conduction, root pressure. (b) Nitrogen cycle (c) Special modes of nutrition in plants: (Autotrophic, heterotrophic, parasitic, saprophytic, symbiotic, insectivorous) and their ecological relationship.
 11. Photosynthesis: Chloroplast, role of light, chlorophyll and carbon dioxide, mechanism of photosynthesis. Formation and role of ATP.
 12. Transpiration: Mechanism and importance. Mechanism of opening and closing of stomata.
 13. Translocation and storage of food.
 14. Respiration: Aerobic and Anaerobic Respiration, main steps in the mechanism of respiration (elementary knowledge of glycolysis and Krebs cycle), Process of fermentation and its economic importance.
 15. Growth and Movements: Definition of growth, measurements, chief types of movements in plants. Hormones and their role in growth.

प्राणि विज्ञान

खण्ड- अ : सामान्य

1. जीवन की उत्पत्ति : ओपेरिन का सिद्धान्त, मिलर का प्रयोग, जीवन के विकास-क्रम में वायरस का स्थान।
2. जैव विकास : विकास की मौलिक कल्पना और विकास में प्रमाण विकास के सिद्धान्त (लेमार्कवाद और डार्विनवाद)।
3. विकास क्रियाविधि : विभिन्नता की परिभाषा, कारण और प्रकाश: उत्परिवर्तन (केवल ह्यूगो- डिब्रीज का सिद्धान्त)।
4. (अ) विभिन्न युगों के अंतर्गत विकास की स्थूल रूपरेखा (वनस्पति तथा उन्तु दोनों का साथ लेकर)।
(ब) मानव का विकास : प्रागैतिहासिक मानव, जावा के कपि मानव, पैकिंग मानव, नियन्डरथल और क्रोमैगनमानव के विशेष लक्षणों के संदर्भ सहित।
5. सृजननिकी अथवा मानव आनुवंशिकता (यूजीनिक्स): लिंग निर्धारण, संदर्भ देकर ऊर्ध्ववर्ती छात्रों का अवतलन (सोब्सडाइजेशन ऑफ सुपीरियर स्टूडेंट्स) बुद्धि लब्धि (आई.क्यू.)।
6. जन्तु शरीर क्रिया विज्ञान
(अ) उपापचय (मेटाबोलिज्म) : सामान्य ज्ञान, ऊतकों की मरम्मत व पुनरोद्भवन (रिजेनेरेशन)
(ब) पाचन क्रिया : भोज्य पदार्थ, पाचक रस (एन्जाइम्स) पाचन के संदर्भ में प्रचूषण स्वांगीकरण (खरगोश का संदर्भ देकर मनुष्य की तुलना)।
(स) उत्सर्जन क्रिया: उत्सर्जी पदार्थों की रासायनिक प्रकृति, खरगोश में उत्सर्जन का संदर्भ देते हुए यकृत और वृक्क का कार्य।
(द) श्वसन : क्रियाविधि, कोशिकीय श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया तथा ए.टी.पी. का कार्य।
(इ) तंत्रिका तंत्र : प्रतिवर्ती क्रिया, आवेगों का अंतःतंत्रिकीय संचारण (विद्युतरासायनिक घटना), स्वायत्त तंत्रिका तंत्र (अनुकम्पी तंत्रिका और परानुकम्पी तंत्रिका तंत्र) आन्तरणों (विसरल ऑर्गन) का तान्त्रिकीय नियंत्रण (खरगोश के विशेष संदर्भ में)।
(फ) अन्तःस्त्रावी तन्त्र (मानव की अन्तः स्त्रावी ग्रन्थियों के संदर्भ में), हारमोन्स और उनके कार्य

खण्ड-ब : प्रारूप तथा विशिष्ट अध्ययन

1. जन्तु जगत का आधुनिक वर्गीकरण (स्टोरर तथा यूसिंगर की पुस्तक के आधार पर) : संघों तथा वर्गों के मुख्य लक्षणों का उल्लेख करते उनके उदाहरण।

2. जन्तु ऊतक (ऊतकी)।
3. प्रोटोजोआ :
 - (अ) अमीबा : आकृतिकी, शरीर क्रिया - विज्ञान प्रजनन और स्वभाव, परासरण नियंत्रण (ऑस्मोरेगुलेशन) और चलन पर विशेष बल। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की संरचना और उसके द्वारा उत्पन्न रोगों की रोकथाम।
 - (ब) प्लाज्मोडियम : इतिहास, जीवन- चक्र, मलेरिया की थैरैपी और नियंत्रण।
4. पोरीफेरा : एक सरल स्पंज (ल्यूकोसोलिनिया, ऐस्कन प्रारूप) की शरीर तथा शरीर क्रिया-विज्ञान का स्पष्ट ज्ञान, स्पंज का आर्थिक महत्व और स्पंज उद्योग।
5. सीलेन्ट्रेटा : हाइड्रा-आकृतिकी, शरीर क्रिया विज्ञान, स्वभाव, पुनरुद्भवन तथा आरेपण और परिवर्धन, कार्यात्मक श्रम-विभाजन और संबंधित ऊतकीय विभेदीकरण।
6. ऐस्केहेल्मिन्थोज : ऐस्केरिस - आकृतिकी (बाह्य आकृति और शरीर)जीवन-चक्र, थैरैपी और नियंत्रण।
7. ऐनीलिडा : फेरिटिमा पॉस्थुमा (बाह्य आकृति और शरीर), फेरिटिमा पॉस्थुमा की जीव-परिस्थिति की (बायोनोमिक्स) इसका आर्थिक महत्व।
8. आर्थोपोडा :
 - (अ) तिलचट्टा (पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना), आकृतिकी (बाह्य आकृति और शरीर) पेरिप्लेनेटा और ब्लाटा में भिन्नता।
 - (ब) घरेलू मकखी और मच्छर की आकृतिकी और जीवन-चक्र।
 - (स) मनुष्य के लिए कीटों का आर्थिक महत्व।
9. (अ) राना टिग्रिना : खोपड़ी, कपाल-तंत्रिका और रीढ़ -तंत्रिका, युग्मकजनन, निषेचन और परिवर्धन। तीन प्राथमिक जनन स्तर और उनका भविष्य, कायान्तरण।
 - (ब) खरगोश : जनन तंत्र (भ्रूणीय परिवर्धन को छोड़कर) अस्थि विज्ञान (ओस्टियोलोजी), शरीर विज्ञान (एनाटॉमी) तथा ऊतकीय विज्ञान का अध्ययन।

ZOOLOGY

Section-A: General

1. Origin of life: Oparin's theory, Miller's experiment, Position of virus in the process of origin of life.
2. Organic evolution: Original idea of evolution, evidences of. evolution, Theories of evolution (Lamarckism & Darwinism).
3. Mechanism of Evolution: Definition, causes and types of variation: Mutation (Theory of Hugo deVries only).
4. (a) A broad outline of the course of evolution through the ages (both plant and animals taken together). (b) Evolution of Man: Prehistoric man with reference to the characteristics of Java ape man, Peking man, Neanderthal man and Cromagnon man.
5. Eugenics: Sex .determination, Sex-linked characters Genetic traits in man (with reference to blood group) subsidization of superior student, Intelligence Quotient (I.Q.)
6. Animal Physiology: a. Metabolism: General idea, repair and regeneration of tissues. b. Digestion: Food, digestive enzymes with reference to digestion, absorption, assimilation (giving reference to Rabbit and comparing with man). c. Excretion: Chemical nature of excretory products; Role of liver and Kidney in excretion with reference to Rabbit. d. Respiration: Mechanism of Respiration, cellular Respiration, mitochondria and role of A.T.P. and A.D.P. e. Nervous System: Reflex action, interneuronic transmission of impulses (Electrochemical phenomenon). Autonomous nervous system (sympathetic and parasympathetic nervous system) and nervous controls of visceral organs with special reference to Rabbit. f. Endocrine system (with reference to human endocrine glands). Hormones and their function.

Section-B : Type and Specific Study

1. A modern classification of animal kingdom (based on the book by Storer and Usinger) : Main characters of Phyla and classes with examples.
2. Animal tissues (Histology),
3. Protozoa: a. Amoeba: with emphasis on morphology, Physiology, reproduction and behaviour, osmoregulation. Entamoeba histolytica structure and prevention of diseases caused by it. b. Plasmodium: History, life-cycle therapy and control of Malaria.
4. Porifera: Structure and physiology of simple sponge (Leucosolenia, Ascon type) Economic importance of sponges and sponge industry.
5. Coelenterata: Hydra-Morphology, Physiology, habit, regeneration, grafting and development, physiological division of labour and related histological differentiation.
6. Aschelminthes: Ascaris-Morphology (External features and anatomy) Life history, therapy and control.
7. Annelida: Pheretima posthuma - (External features and anatomy), bionomics and economic importance of Pheretima posthuma.
8. Arthropods: a. Cockroach (Periplaneta americana), Morphology (External features and Anatomy) Difference between Periplaneta and Blatta. b. Morphology and life history of housefly and mosquito. c. Economic importance of insects for man.
9. Rana tigrina: Skull, Cranial and Spinal nerves, gametogenesis, fertilization and development. The three primary germ layers and their fate, Metamorphosis. b. Rabbit: Reproductive system (excluding embryonic development), osteology, anatomy and histology.

विभिन्न प्रमाणपत्रों का प्रारूप

(इस प्रारूप में ही सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर तथा स्पष्ट सील के साथ काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा)

प्रमाण-पत्र - 1 (UPPR)

(उ०प्र० में निवास का प्रमाण पत्र)

(केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने हाईस्कूल तथा अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण न की हो)

मैंने आवश्यक लिखित साक्ष्य की जांच कर ली है और/अथवा मुझे इस तथ्य का व्यक्तिगत ज्ञान है कि अभ्यर्थी/श्री कुमारी -----पुत्र/पुत्री श्री ----- उत्तर प्रदेश में मूल निवासी की परिभाषा जो निचे निर्धारित टिप्पणी में दी गयी परिभाषा सं.----- को पूर्ण करता है अथवा वह उक्त टिप्पणी में दिये गये अपवाद संख्या----- के अन्तर्गत आता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर----- दिनांक -----	हस्ताक्षर----- पूरा नाम----- पदनाम तथा सील----- उत्तर प्रदेश में सेवारत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट
--	---

टिप्पणी : 1. उत्तर प्रदेश के मूल निवासी की परिभाषा

- (क) भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास स्थान अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश में है और जो स्वयं भी उत्तर प्रदेश का निवासी है। अथवा
- (ख) भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास स्थान अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं था किन्तु जिसने अथवा जिसके पिता उत्तर प्रदेश में निवास का अधिग्रहण कर लिया है, परन्तु इस प्रकार के अधिग्रहण के पश्चात इस आवेदन-पत्र देने की तिथि तक उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी के निवास की अवधि तीन वर्ष से कम नहीं अथवा
- (ग) उत्तर प्रदेश में सेवारत (सेवायोजक का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है) भारत सरकार के (सिविल सैन्य सेवा के) कर्मचारियों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के पोष्य (वार्ड) के लिए शर्त यह है कि ऐसा अभ्यर्थी उपयुक्त मूल्य के स्टैम्प पेपर पर उक्त आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा। इस शपथ-पत्र में इस आशय की भी शपथ होनी चाहिए कि अखिल भारतीय स्तर पर किये गये चयन से प्रवेश देने वाले मेडिकल कॉलेजों को छोड़ कर वह उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी नहीं है अथवा
- (घ) विदेश में प्रवेश करने वाला भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसके पूर्वज उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे)
- 2.** अपवाद : अपेक्षित प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर सी.पी.एम.टी. में प्रवेश परीक्षा के लिए अनुमन्य होगा
- (i) उत्तर प्रदेश में पंजीकृत विस्थापित विद्यार्थी (सम्बद्ध जिले के जिलाअधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।
- (ii) उत्तर प्रदेश में सेवारत भारत सरकार के कर्मचारियों पोष्य (सेवायोजक का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
- (iii) देश के किसी भी भाग में सेवारत भारत सरकार के सुरक्षा बलों के कर्मचारियों के ऐसे पोष्य जिन्होंने अपनी अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की है (सेवायोजक का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।
- (iv) अन्य देशों से उत्तर प्रदेश में प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय की संताने (उत्तर प्रदेश के सम्बद्ध जिलाअधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है)

प्रमाण-पत्र

मैंने आवश्यक साक्ष्यों की जांच कर ली है और मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी----- श्री-----के पुत्र/पुत्री हैं, जो ----- (देश का नाम) से प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर ----- दिनांक -----	जिलाधिकारी के हस्ताक्षर----- जिलाधिकारी का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ----- सील-----
---	---

प्रमाण-पत्र - 2

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति-प्रमाण पत्र का प्रपत्र (UPOBC)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमार ----- सुपुत्र/सुपुत्री/श्री
----- निवासी ग्राम ----- तहसील ----- नगर ----- जिला
----- उत्तर प्रदेश राज्य की ----- पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 की अनुसूची-एक के
अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/कुमारी ----- उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची-दो
(अधिसूचना संख्या-22/16/92 का-02/1995 टी.सी. दिनांक 1995 द्वारा यथा संशोधित) से आच्छादित नहीं है।
श्री/श्रीमती/कुमारी ----- तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ----- श्री/श्रीमती/कुमारी ----- नगर --- जिला
----- में सामान्यतः रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर ----- स्थान ----- दिनांक -----	हस्ताक्षर----- पूरा नाम ----- पद नाम तथा सील----- जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटीमजिस्ट्रेट/तहसीलदार
--	---

NOTE : This certificate will be acceptable only if it is issued after March 31st,2008. Profoma of certificate shall change according to latest Govt. order.

नोट: मार्च 31, 2008 के बाद जारी प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। प्रमाण-पत्र का प्रारूप, शासन के अध्याविधि आदेश के अनुसार होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों की सूची :-

1. अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय	27. नक्काल	53. हलवाई, मोदनवाल
2. टरख, अर्कवंशीय	28. नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)	54. हज्जाम, नाई, सलवानी, सबिता, श्रीवास
3. काछी, काछी कुशवाहा, शाक्य	29. नायक	55. रायसिख
4. कहार, कश्यप	30. फकीर	56. सक्का भिस्ती, भिस्ती, अब्बासी
5. केवट या मल्लाह, निषाद	31. बंजारा, रन्की, मुकरी, मुकोरानी	57. धोबी (जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियां गंधी, अर्राक की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
6. थकसान	32. बढई, शैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रामगढ़िया, जांगिड़, धीमान	58. कतेरा, ठठेरा, ताम्रकार
7. वोइरी	33. बरी	59. नानवाई
8. कुम्हार, प्रजापति	34. बैरानी	60. मीर शिकार
9. कुर्मी चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल, कुर्मी सैथवार	35. बिन्द	61. शेख, सरबरी, (पिराड) पीराही
10. कम्बोज	36. बियार	62. मेद, मेवाली
11. बसंगर	37. भर, राजभर	63. कोष्टा/कष्टी
12. कुजड़ा या राइन	38. भुर्जी, भड़भेजा, भूज, कशोधन	64. रोड
13. गोसाई	39. भठियारा	65. खुमरा, संगत राम, हसीरी
14. गूजर	40. माली, सैनी	66. मोर्चा
15. गड़ेरिया, पाल और बघेल	41. मनिहार, कचेर, लसैरा	67. खागी
16. गद्दी, घोषी	42. मुराव या मुराई, मौर्य	68. तंवर सिंघाड़िया
17. थगरि	43. मोमिन अंसार	69. क्तुआ
18. चिकवा (कस्सवा) कुरैशी, चक	44. भिरासी	70. महीगीर
19. छीपी, छीपा	45. मुस्लिम, कायस्थ	71. छांगी
20. जेगी	46. मारछा	72. धाकड़
21. झोजा	47. रंगरेज, रंगवा	73. गाड़ा
22. डफाली	48. लोधी, लोधा, लोधी, लोटा, लोधी-राजपूत	74. तंतवा
23. तमोली, बरई, चौरसिया	49. लोहार, शैफी	75. जोरिया
24. तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, सैनियार	50. लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर, लोनिया-चौहान	76. पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी
25. दर्जी, इदरीसी, काकतस्था	51. सोनार, सुनार, स्वर्णकार	77. जाट
26. धीवर	52. स्वीपर(जो अनुसूचित जातियों की श्रेणियों में सम्मिलित न हों) हलालखोर	78. कलाल, कलवार, कलार
		79. नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कडेरेकिरण (कर्ण)

नोट : उपरोक्त का सत्यापन शासन के निर्देश से कर लिया जाय।

प्रमाण-पत्र - 3

विकलांग अभ्यर्थी के लिए विकलांगता प्रमाण-पत्र (UPPH)

संख्या-----

दिनांक-----

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ----- सी.पी.एम.टी.-2008 ----- अनुक्रमांक'----- पुत्र/पुत्री श्री ----- सी.पी.एम.टी. के माध्यम से प्रवेश हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विकलांग श्रेणी में आते/आती हैं, कि एम.सी.आई. के पत्र सं.-एम.सी.आई.-34(1)/2003-मेड/11773, दिनांक 14.7.2003 के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी ----- की सिर्फ लोवर लिम्ब की विकलांगता 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के मध्य है तथा अन्य किसी भी अंग में अपंगता नहीं है। तथा यह चिकित्सा शिक्षा ग्रहण करने योग्य है।”

अध्यक्ष विशेष बोर्ड के हस्ताक्षर एवं सील

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर -----
एवं फोटोग्राफ

प्रति हस्ताक्षरित
मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर एवं सील

* कृपया प्रवेश पत्र से अनुक्रमांक व फोटो का मिलान करके ही प्रमाण-पत्र जारी करें।

** यदि बोर्ड की राय में विकलांगता इस सीमा तक हो कि अभ्यर्थी चिकित्सा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है तब ऐसे अभ्यर्थी को विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी न किया जाये।

प्रमाण-पत्र - 4

(उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र) (UPSC/UPST)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ----- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ----- निवासी ग्राम ----- तहसील ----- नगर ----- जिला ----- उत्तर प्रदेश राज्य की ----- जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ (संविधान) अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश (आदेश), 1987 के अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है। श्री/श्रीमती/कुमारी ----- तथा उनका परिवार ग्राम ----- तहसील ----- नगर ----- जिला ----- में सामान्यतया रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर -----	हस्ताक्षर -----
स्थान -----	पूरा नाम ----- पद नाम तथा सील -----

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों / जनजातियों की सूची

1	अगरीया	2	बधिक	3	वदी
4	बहेलिया	5	बैगा	6	बैसवार
7	बजनिया	8	बजगी	9	ब्लहर
10	बलई	11	बाल्मीकि	12	बंगाली
13	बनमानुष	14	बासंफोर	15	बरवार
16	बसोड़	17	बयरिया	18	ब्लदार
19	बेड़िया	20	भ्रांतु	21	भुइया
22	बोरिया	23	भदयार	24	चमार, झूसिया, धुसिया, जाटव
25	नेरो	26	छबगर	27	धांगर
28	धानुक	29	धोबी	30	डोम
31	डोमर	32	दुसाध	33	धरमी
34	धसिया	35	गोंड	36	ग्वाल
37	हबुड़ा	38	ळरी	39	ळेला
40	क्लाबाज	41	कंजड़	42	कबड़िया
43	करबल	44	खरैता	45	खरवार (बनवासी को छोड़कर)
46	खटिक	47	खरोट	48	धरकार
49	केल	50	कोरी	51	कोरवा
52	ललबेगी	53	मझवार	54	मजहबी
55	मुसहर	56	नट	57	पंखा
58	पहरिया	59	पसी, तरमाली	60	पतरी
61	श्रावत	62	सहरिया	63	सनोरिया
64	सांसिया	65	शिल्पकार	66	तुरैह

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों की सूची

1	थारू	2	वेनस	3	भोटिया
4	श्राजी	5	जौनसारी		

शासनादेश संख्या-111 भा.स./26-3-2003 (7)/2003 दिनांक -3-7-2003 के द्वारा भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया है-

6	गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में)	7	खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जनपद में)	8	सहरिया (ललितपुर जिले में)
9	पहरिया (सोनभद्र जिले में)	10	बैगा (सोनभद्र जिले में)	11	पंखा, पनिका (सोनभद्र एवं मिर्जापुर जिले में)
12	अगरिया (सोनभद्र जनपद में)	13	पठारी (सोनभद्र जनपद में)	14	चेरो (सोनभद्र एवं वाराणसी जनपद में)
15	भुइया, भुनिया (सोनभद्र जनपद में)				

नोट : जो व्यक्ति हिन्दू धर्म से किसी भिन्न धर्म को मानता है वह उत्तर प्रदेश में जैसा कि उपयुक्त सूची में उल्लिखित है, अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जायेगा। विधायी अनुभाग-1 अधिसूचना पत्र दिनांक 06.06.2002 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश-2002 एवं अधिसूचना पत्र दिनांक 25.06.2002 द्वारा प्रख्यापित (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश - 2002 के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

प्रमाण-पत्र - 5

(अन्य राज्य/संघशासित क्षेत्र से उ.प्र. में प्रवासित होकर आये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा अपने दावे के समर्थन में पेश किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म)

जति के प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ----- पुत्र/पुत्री ----- निवासी ----- गांव/शहर ----- जिला/मंडल ----- राज्य/संघशासित क्षेत्र का अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है जो निम्नलिखित आदेश के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित की गयी है।

- संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जातियों) संघ शासित क्षेत्र, आदेश, 1950
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियां सूची (संशोधन आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम-1970 और उत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम-1971 तथा अनुसूचित जाति जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम-1976 (द्वारा यथा संशोधन)।
- संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जातियों, आदेश, 1956
- संविधान (अडमान व निकोबार समूह) अनुसूचित जनजातियां, आदेश, 1959
- संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियां, आदेश, 1962
- संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जातियां, आदेश, 1962
- संविधान (पाण्डिचेरी) जातियां, आदेश, 1964
- संविधान (अनुसूचित जनजातियां) उत्तर प्रदेश आदेश, 1967
- संविधान (गोवा दमन तथा द्वीप) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- संविधान (गोवा दमन तथा द्वीप) अनुसूचित जनजातियों, आदेश, 1960
- संविधान (नागा) अनुसूचित जनजातियां, आदेश, 1970

यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमार----- को उसके पिता/माताश्री/श्रीमती ----- निवासी ग्राम/शहर ----- जिला/मंडल-- राज्य संघ शासित क्षेत्र ----- को दिये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया है जो ----- जाति/जनजाति के हैं ----- जिसे राज्य/संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है।

(निर्धारित प्राधिकारी का नाम)

स्थान -----

राज्य/संशासित क्षेत्र -----

दिनांक -----

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर -----

जिलाधिकारी के हस्ताक्षर -----

जिलाधिकारी के नाम -----

मोहर -----

कृपया राष्ट्रपति के सम्बन्धित आदेश का उल्लेख करें।

नोट : यह प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेशके सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। यह प्रमाण-पत्र भारत सरकार गृह मन्त्रालय के पत्र सं.-वी.सी. 16014/1-82 एस.सी.एण्ड वी.सी.डी.-1 नई दिल्ली दिनांक 18-25 नवम्बर 1982 के निर्देशानुसार जारी किया जाये।

प्रमाण-पत्र - 6 (UPFF)

(स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ ----- निवासी ----- ग्राम ----- तहसील ----- नगर ----- जिला ----- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी आश्रित ----- पुत्र/पुत्री/पौत्र अविवाहित पौत्री उपरांकित अधिनियम 1993 के ही अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) ----- के आश्रित है।

स्थान -----	हस्ताक्षर -----
दिनांक -----	पूरा नाम -----
अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर -----	पद नाम -----
	मोहर -----
	जिला अधिकारी -----

प्रमाण-पत्र - 7

उ०प्र० के भूतपूर्व सैनिक (UPES)
(अन्तिम यूनिट के आफिसर कमान्डिंग द्वारा प्रमाणित)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ----- निवासी
----- ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय ----- सेना में
अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक ----- को सेवा निवृत्त हुए है या ----- थे / भारतीय सेना की सक्रिय सेवा काल में
कर्तव्यों के निर्वहन के लिए युद्ध में आहत / युद्ध में अपंग होने के कारण वीरगति / अक्षमता प्राप्त की थी।

2. वीरगति / अक्षमता प्राप्त करने से पूर्व श्री ----- भारतीय ----- सेना की यूनिट () में नियुक्त थे।

दिनांक ----- सेना की संबंधित यूनिट के अधिकारी के हस्ताक्षर तथा सील

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर -----

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कुमारी ----- निवासी ----- उपरोक्त श्री
----- के पुत्र / पुत्री है।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर -----

दिनांक -----

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर तथा सील

युद्ध में शहीद / युद्ध में अपंग सैनिक का नाम
युद्ध में शहीद / युद्ध में अपंग सैनिक का स्थायी पता
थल / नभ / जल जो उपयुक्त हो
अभ्यर्थी का नाम
यूनिट की संख्या व पता

प्रमाण-पत्र - 8 (UPNC)

राष्ट्रीय कैडेट कोर

NATIONAL CADET CORPS

प्रमाण-पत्र 'सी'
CERTIFICATE 'C'

सं० ----- रैंक -----
No ----- Rank -----
नाम ----- सुपुत्र/सुपुत्री -----
Name ----- Son/Daughter of -----
यूनिट -----
Unit -----

राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय

NCC Directorate -----

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर लिखित कैडेट ने रक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन सन् -----
में हुई प्रमाणपत्र 'सी' परीक्षा 'बी' श्रेणी में पास कर ली है।

This is to certify that the above mentioned Cadet has passed the Certificate 'C' Examination in BEE Grade held
in year ----- under the authority of Ministry of Defence, Government of India

क्र.सं.

Sr. No. -----

स्थान

Place -----

दिनांक

Date -----

Brigadier
Dy DG NCC DTE (UP&UA)
Lucknow

उप महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर
Dy. Director General, National Cadet Corps

11.1. INSTRUCTIONS FOR FILLING THE OMR APPLICATION

NOTE: FILL UP THE FORM WITH EXTRA CARE. REQUESTS FOR CORRECTIONS WILL NOT BE ENTERTAINED LATER. SUCH APPLICATIONS, WHICH ARE FILLED UP INCOMPLETE WILL BE REJECTED WITHOUT ANY NOTICE. READ ALL THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND WRITE WITH BLUE OR BLACK BALL POINT PEN IN BOXES PROVIDED, AND DARKEN THE CORRESPONDING CIRCLES IN FULL. IT IS SUGGESTED THAT YOU MAKE A PHOTO-COPY OF THE FORM AND USE THAT FIRST FOR PRACTICE, BEFORE FILLING UP ACTUAL OMR SHEET.

1. Name of the Candidate : Write first name, then middle name (abbreviate if necessary), then surname in the □ rectangular boxes provided on top of the circles, leave a box blank between first, middle and surname. Darken the corresponding circles O with pen (see the sample application form).
- 2.. Category: Fill the category code to which you belong: All women candidates will be considered for women category seat first and then in their vertical category.

क्रमांक	श्रेणी एवम् कोड	कोड
1.	सामान्य	10
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	20
3.	अनुसूचित जाति	30
4.	अनुसूचित जनजाति	40
5.	सामान्य-स्वतंत्रता सेनानी का वास्तविक आश्रित	15
6.	सामान्य भूतपूर्व सैनिक / युद्ध में शहीद/अपंग का पुत्र/पुत्री	16
7.	सामान्य विकलांग	17
8.	अन्य पिछड़ा वर्ग-स्वतंत्रता सेनानी का वास्तविक आश्रित	25
9.	अन्य पिछड़ा वर्ग-भूतपूर्व सैनिक/युद्ध में शहीद/अपंग के पुत्र/पुत्री	26
10.	अन्य पिछड़ा वर्ग-विकलांग	27
11.	अनुसूचित जाति-स्वतंत्रता सेनानी का वास्तविक आश्रित	35
12.	अनुसूचित जाति-भूतपूर्व सैनिक/युद्ध में शहीद/अपंग के पुत्र/पुत्री	36
13.	अनुसूचित जाति -विकलांग	37
14.	अनुसूचित जनजाति-स्वतंत्रता सेनानी का वास्तविक आश्रित	45
15.	अनुसूचित जनजाति-भूतपूर्व सैनिक/युद्ध में शहीद /अपंग के पुत्र/पुत्री	46
16.	अनुसूचित जनजाति-विकलांग	47
17.	सामान्य-एन.सी.सी.-सी सार्टिफिकेटधारी	18
18.	अन्य पिछड़ा वर्ग - एन.सी.सी.-सी सार्टिफिकेटधारी	28
19.	अनुसूचित जाति -एन.सी.सी.- सी सार्टिफिकेटधारी	38
20.	अनुसूचित जनजाति-एन.सी.सी.-सी सार्टिफिकेटधारी	48

Example (Please See Sample OMR)

- a. A woman candidate of general category will fill the category code 10. However if she also belongs to physically handicapped category then she shall fill code 17.
- b. A male candidate of general category shall fill category code 10. However if he is also a candidate of ex-army category then he shall fill category code 16.
3. Darken the appropriate circle for residential status.
4. Darken the circle from where you have passed High School examination.
5. Darken the circle from where you have passed Intermediate examination.
6. Choice of C.P.M.T. cities: Pick up the CODES of two cities in order of preference from the list given below and mention in the boxes provided in I & II columns and darken the corresponding circles.

CITY	CODE
Agra	11
Aligarh	12
Allahabad	13
Azamgargh	14
Bareilly	15
Faizabad	16
Ghaziabad	17
Ghazipur	18
Gorakhpur	19
Jaunpur	20
Jhansi	21
Kanpur	22
Lucknow	23
Meerut	24
Moradabad	25
Muzaffarnagar	26
Noida	27
Saharanpur	28
Varanasi	29

7. Sex: write MALE or FEMALE in the box provided and darken the appropriate circle.
8. Darken the circle corresponding to qualifying examination.
9. Date of Birth: In the first column two boxes are provided; write the date in the boxes (6 should be written as 06), in the second column one box is provided. Write the month (January as JAN) and darken the corresponding circle. In the third column two boxes are given. Write the year (if in the year 1986 write 8 and 6) in the boxes and darken the corresponding circles.
10. (a) If you wish to be considered for the BUMS course, darken the circle for YES otherwise, darken the circle NO
(b) If you have passed Urdu paper at class X level, darken the circle for YES otherwise, darken the circle NO.
11. Name of Parent/Guardian: Write first name, then "middle name (abbreviate if necessary), then surname in the boxes provided, leave a box blank between names. Darken the corresponding circles with the pen.
12. Darken the circles to indicate the guardian's relationship with you.
13. Darken the circle corresponding to the percentage of marks obtained in the subjects indicated and also the total percentage of marks in the Intermediate or equivalent examination. If the results of the qualifying examination have not been declared, darken the circles marked "Result awaited" If the qualifying examination or subject is passed with grace darken the circle accordingly.
14. Darken the circles to indicate the board of your qualifying examination (intermediate or equivalent)
15. If general category candidate has less than 50% aggregate marks in Physics, Chemistry and Biology taken together or reserve category candidate having less than 40% aggregate marks in Physics, Chemistry and Biology taken together, in intermediate or equivalent examination and wish to be considered on the basis of marks obtained in B.Sc. examination then darken the circle corresponding to percentage of marks obtained in B.Sc. examination subjects i.e. Physics/Chemistry/Botony/Zoology as the case may be.
16. Darken the circle of city in which you want your centre of counselling. You must note the counseling centre or keep copy of OMR Sheet.
17. In the item no. 17, write the STD code & Number if any.
18. Read the Declaration carefully. Make sure that the name and signature of yourself and your guardian are properly filled.
19. Mailing address should be written entirely inside the box. WRITE YOUR NAME, followed by the address. This address will be used to send your admit card.
20. Signature should be entirely inside the box in English.
21. Signature should be entirely inside the box in Hindi.

22. The photograph must be duly coloured and recent (taken not more than three month earlier), front face, without any hat or cap or dark glasses. Please be warned that if the identity of the candidate is not clear from the photograph, the form will be rejected. Photo should be PASTED in such a manner that it lies entirely inside the box. The photograph must be attested by the Gazetted officer or Principal of College with seal from where the candidate has passed qualifying examination.
23. Put the impression of your left hand thumb in the space provided in a manner that whole thumb impression is accomdated inside the box.

NOTE: DO NOT MARK OR SCRATCH OR WRITE ANYTHING IN THE SPACE PROVIDED FOR THE BARCODE

11.2. IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE ANSWER SHEET DURING THE EXAMINATION

1. All entries are to be made with blue or black ball point pen. **NO CHANGES CAN BE MADE ONCE AN ENTRY HAS BEEN DONE.**
2. On the left half of the answer sheet, write your Roll Number in the boxes provided and below the boxes darken the appropriate circles very carefully.
3. On the right half of the answer sheet, fill in the code number of the question booklet provided to you and darken the propriate circles, using a ball point pen.
4. Mark your answer by darkening the appropriate circle, using a ball point pen.
5. Do not mark more than one answer. If you mark more than one answer, the answer to that question will be read as incorrect.
6. Do not change the answer once marked by erasing or applying white fluid. If you erase by any means or apply white correcting fluid, the optical mark reader may still take it as an answer marked by you.
7. The answer sheet will have bar code printed on it. **DO NOT MARK OR SCRATCH OR WRITE ANYTHING IN THE SPACE PROVIDED FOR THE BARCODE, BECAUSE DOING SO WILL LEAD TO DISQUALIFICATION.** All circles be fully and gently darkened as otherwise the optical reader may misread it.

विशेष सूचना (IMPORTANT NOTICE)

- कोई अभ्यर्थी पोस्ट आफिस के अलावा कहीं से भी आवेदन-पत्र व ब्रोशर न खरीदे। अभ्यर्थियों को उनके हित में यह सलाह दी जाती है कि पोस्ट आफिस से ही निर्धारित शुल्क दे कर सही एवं सत्य आवेदन पत्र प्राप्त करें। जाली आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ इस कारण से हुई किसी भी अभ्यर्थी की आर्थिक या अन्य प्रकार की किसी भी हानि के लिए उत्तरादायी नहीं होगा।
- सी.पी.एम.टी.-2008 का भरा हुआ आवेदन-पत्र यथा-सम्भव पोस्ट आफिस की उसी शाखा (जहाँ से अभ्यर्थी ने आवेदन-पत्र तथा विवरण पुस्तिका क्रय की है) से चेयरमैन सी.पी.एम.टी.-2008 लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को स्पीड - पोस्ट / पंजीकृत डाक से ही भेजें।
- आवेदन-पत्र सीधे विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- यह स्पष्ट किया जाता है कि सी.पी.एम.टी.-2008 कार्यालय द्वारा कूरियर की कोई रसीद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र भेजने का प्रमाण नहीं मानी जायेगी।
- यह स्पष्ट किया जाता है कि चेयरमैन सी.पी.एम.टी.-2008 की अध्यक्षता में केवल सी.पी.एम.टी.-2008 की परीक्षा का आयोजन और इसका परिणाम घोषित किया जायेगा। प्रवेश / कॉलेज आवंटन काउंसिलिंग बोर्ड के चेयरमैन जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ है द्वारा किया जायेगा।